44

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का कार्यकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक लेखा समिति

(2021-22)

चवालीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2272

चवालीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का कार्यकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सत्यमेव जयते

16-03-2022.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

16-03-2022.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943(शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)

प्रतिवेदन

भाग- एक

एक	प्रस्तावना	1-2
दो	संगठनात्मक संरचना	
	(एक) स्थापना और जनशक्ति	3-8
	(दो) सीजीटीएमएसई - अन्य संगठनों के साथ तुलना	
तीन	ट्रस्ट का परिचालन ढांचा	
	(एक) ट्रस्ट का बिजनेस मॉडल	8-12
	(दो) विनियामक ढांचा	12-18
	(तीन) कार्यों का अतिव्यापन - एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई	19-22
	(चार) गारंटी योजना का कवरेज और प्रभाव	22-24
	(पाँच) कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान	24-25
	(छह) कोविड 19 महामारी का प्रभाव	25-28
	(सात) गारंटी मामलों की संख्या में गिरावट	28-31
चार	ट्रस्ट का निष्पादन	
	(एक) वित्तीय निष्पादन	31-
	(दो) डाटा से संबधित परिचालनात्मक समस्याएं	32-34
	(तीन) कार्य प्रचालन	34-35
	(चार) निवेश ग्रेडिंग,क्रेडिट रेटिंग और इसके प्रभाव	35-38
	(पांच) संपार्श्विक	38-41
पांच	एनपीएएस, दावे और वसूली	
	(एक) एमएलआई का निरीक्षण और वसूली	41-43
	(दो) दावे के निपटान के बाद एमएलआई से वसूली	43-44
	(तीन) एनपीए का मुद्दा	45-46
	(चार) आवेदन जमा करने में विलंब	46-47
	(पांच) गैर-सूक्ष्म'/लघु श्रेणी इकाइयों को गारंटी	47-48
	(छह) व्यक्तिगत गारंटी पर ऋण देना	49-50
	(सात) अनियमित ऋण	50-52

भाग- दो

टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें 53-78

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2020-21) की 04.01.2021 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश 79-83

दो. लोक लेखा समिति (2021-22) की 10.02.2022 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश 84-86

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
11. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. श्री वि. विजयसाई रेड्डी *
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी **

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर – संयुक्त सचिव
2. श्री सूर्य रंजन मिश्रा – निदेशक
3. श्रीमती भारती एस. टुटेजा - अपर निदेशक
4. श्री आलोक मणि त्रिपाठी – उप सचिव

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

++श्री अजय मिश्र टेनी, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

श्री भूपेन्द्र यादव,संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं. 10 के पैरा 4.1 पर आधारित "**सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का कार्यकरण**" विषयक समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उपर्युक्त प्रतिवेदन दिनांक 23 सितंबर, 2020 को सभा के पटल पर रखा गया था।

3. लोक लेखा समिति (2021-22) ने विस्तृत जाँच और प्रतिवेदन तैयार करने हेतु इस विषय पर विचार किया। समिति ने 4 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस विषय के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। तदनुसार, एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया गया और लोक लेखा समिति (2021-22) के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति ने दिनांक 10 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में संलग्न हैं।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को इस प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है और इन्हें प्रतिवेदन के भाग-दो में दिया गया है।

5. समिति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में समिति को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनको धन्यवाद देती है।

6. समिति, इस मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति
लोक लेखा समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

अध्याय - एक

एक. प्रस्तावना

1. लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) दुनिया भर में किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था का विकास इंजन हैं। इस क्षेत्र का महत्व न केवल अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इसके सकारात्मक योगदान में है, बल्कि व्यापक भौगोलिक भूभाग में रोजगार प्रदान करने में भी है और इस प्रकार एसएमई भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक विकास में और हमारे देश में रोजगार सृजन में भी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई पहल की हैं।

2. एसएमई के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि उनके पास मजबूत पूंजी आधार नहीं है और ऋण हासिल करने के लिए संपार्श्विक आदि की कमी है, जिससे उनकी फर्मों की विश्वसनीयता के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि एसएमई को प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए प्रेरक माना जाता है, लेकिन संपार्श्विक मुक्त ऋण मांगना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक माना जाता है। सरकार और नीति निर्माताओं ने नीतिगत प्रोत्साहन देना शुरू किया है जो अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की चिंता और महत्व को दर्शाते हैं। ये नीतिगत उपाय एमएसएमई वित्त के प्रमुख चालक हैं। एक ऐसा नीतिगत उपाय जिसका एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण

पर गहरा और निश्चित प्रभाव पड़ता है, वह है **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)।**

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय(एमएसएमई) तथा भारत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा जुलाई 2000 में नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोलेटरल मुक्त/तृतीय पक्षकार गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी सहायता) के संबंध में गारंटी देने और ऋण देने वाली संस्थाओं पर गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क/अन्य प्रभार लगाने के लिए , सीजीटीएमएसई (सीजीटीएमएसई/ट्रस्ट) नामक न्यास की स्थापना । ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधि की तुलना में अधिक सामाजिक-आर्थिक था।

4. वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं लागू की जा रही हैं:

(i) (i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीएस-I) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना; (योजना 1 अगस्त, 2000 से लागू हुई)

(ii) (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (सीजीएस-II) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (यह योजना 25 जनवरी, 2017 को शुरू की गई थी)

5. वर्ष 2020 की सी एंड ए जी रिपोर्ट संख्या 10, जिसमें अध्याय IV विशेष रूप से सीजीटीएमएसई और इसके कार्यकरण से संबंधित है इसे 23.09.2020 को लोकसभा के पटल पर रखा गया था और वर्तमान रिपोर्ट काफी हद तक उपरोक्त सीएण्डएजी रिपोर्ट में वर्णित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उत्तर पर आधारित है।

दो. संगठनात्मक संरचना

(एक) <u>स्थापना और जनशक्ति</u>

6. सीजीटीएमएसई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के दौरान ट्रस्ट के प्रबंधन और संगठन में न्यासी बोर्ड में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में, अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार , पदेन उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष, भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) पदेन सदस्य के रूप में और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं । 31 मार्च, 2020 तक सीईओ सहित सिडबी से चार अधिकारी सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

7. अन्य देशों के विपरीत, सीजीटीएमएसई का प्रचालन सीमित स्टाफ वाले एक ही कार्यालय के माध्यम से पूरे भारत में किया जाता है। उच्चतर स्तर के सभी प्रबंधन अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक) सिडबी से प्रतिनियुक्ति पर हैं जबकि शेष अनुबंध के आधार पर हैं। इन कारकों के चलते सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) के लिए सीजीटीएमएसई की सीधी आउटरीच काफी कठिन है और इससे स्कीम के अप्रभावी प्रबंधन का जोखिम उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, समिति ने पाया कि कोरिया में इसी समान संगठन (केओडीआईटी) में 2381 कर्मचारी हैं, जापान में ऐसे दो संगठन हैं जैसे जेएफसीऔर जेएफजी में 7364 और 6211 कर्मचारी सदस्य हैं। जहां तक फंड के आकार का संबंध है, अन्य देशों के समान संगठनों की तुलना में, सीजीटीएमएसई का कॉर्पस फंड (1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों के फंड के आकार की तुलना में बहुत छोटा है। कोरियाई संगठन में फंड का आकार 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर, जेएफसी में 16.37 अरब अमेरिकी डॉलर और जेएफजी में 16.69 अरब अमेरिकी डॉलर है। ऑपरेटिंग तंत्र का एक अन्य पहलू यह है

कि सीजीटीएमएसई और एमएसई इकाई जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है इन के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है ।

8. इस संबंध में, एमएसएमई पर यू.के. सिन्हा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> 'यह आवश्यक है कि सीजीटीएमएसई के शीर्ष प्रबंधन को पेशेवर हों और उन्हें एक व्यापक पूल से लिया जाए। यह भी उपयुक्त होगा कि सिडबी अपने आप को सीजीटीएमएसई के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और बोर्ड से अलग कर दे।"

9. यू.के. सिन्हा समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार सीजीटीएमएसई से सिडबी को अलग करने के संबंध में प्रश्न के बारे में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार उल्लेख किया है:

> "... सिडबी से प्रतिनियुक्ति पर लोगों को रखने से वास्तव में ट्रस्ट को मदद मिलती है क्योंकि कर्मचारी एक ओर क्रेडिट/उधार को समझते हैं और दूसरी ओर गारंटी संचालन की समझ रखते हैं...। सीजीटीएमएसई के मामलों के प्रबंधन में सिडबी की भागीदारी भी ट्रस्ट की योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रयासों के लिए सिडबी के मंच का उपयोग करने में मदद करती है।

10. इस मुद्दे पर मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

" सीजीटीएमएसई ने एमएसएमई मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण तथा सिडबी द्वारा न्यास के प्रचालनों के प्रबंधन के अंतर्गत अपने प्रचालन के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिडबी से लोगों को

प्रतिनियुक्ति पर रखना वास्तविक रूप में न्यास की सहायता करता है, क्योंकि इससे एक ओर कर्मचारी क्रेडिट/लेंडिंग को समझ पाते हैं तथा दूसरी ओर उन्हें गारंटी संबंधी संचालनों की भी समझ हो पाती है। संचयी रूप से संचालनों के संबंध में गारंटी संचालनों अर्थात सीजीटीएमएसई के विकासपरक इतिहास से यह प्रत्यक्ष है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 2.22 लाख करोड़ रुपए की कुल 43 लाख से अधिक गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020 के दौरान अनुमोदित गारंटियों की राशि को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 30,168 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45,852 करोड़ रुपए कर दिया गया जिससे 52% की वृद्धि दर्ज की गई । गारंटियों की संख्या वित्त वर्ष 2019 में 4.36 लाख से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2020 में 8.47 लाख कर दिया गया है जिससे 94% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह गारंटी अनुमोदन में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। सीजीटीएमएसई के कार्यों को प्रबंधित करने में सिडबी की संलग्नता स्कीमों और व्यावसायिक विकास संबंधी प्रयासों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूर्ववर्ती प्लेटफार्म का उपयोग करने में न्यास की सहायता करती है। तदनुसार, हम आशावादी हैं कि वित्तीय परिवेश में एक संबल के रूप में सीजीटीएमएसई को प्रोत्साहित करने में सिडबी द्वारा अदा की गई भूमिका से नई पीढ़ी के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता यात्रा में लगातार लाभान्वित होते रहेंगे।"

11. समिति ने विशेष रूप से राज्य स्तर पर पारस्परिक विचार-विमर्श और समस्याओं के समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी की उपलब्धता के बारे में पूछा क्योंकि एमएसएमई मुख्य रूप से जिला स्तर पर स्थित हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

" गारंटी सीजीटीएमएसई के साथ समन्वय में एमएलआई द्वारा प्रदान की जा रही है। अधिकांश एमएलआई की एसएमई की क्रेडिट आवश्यकताओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर विशेष शाखाएं हैं। एमएलआई शाखाओं का यह नेटवर्क सीजीटीएमएसई सहित विभिन्न सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने में एमएसई को

सहायता प्रदान करता है। अतः, न्यास से राज्य स्तर पर एक नोडल व्यक्ति का होना तर्कसंगत नहीं है।"

12. लिखित टिप्पण में मंत्रालय ने बताया कि मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले एमएसई सीजीटीएमएसई की एक समर्पित मुफ्त टेलीफोन सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, उद्योग संघों और अन्य संबंधित निकायों के साथ बैठक के सभी अवसरों का उपयोग ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और सिडबी दोनों द्वारा गारंटी योजना को लोकप्रिय बनाने और इच्छुक उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है।

दो. <u>सीजीटीएमएसई - अन्य संगठनों के साथ तुलना</u>

13. यह पूछे जाने पर कि क्या मध्यम और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का इसी प्रकार के क्रेडिट गारंटी निधियों के लिए उत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों की तुलना के लिए कोई अध्ययन किया गया है,मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"31 मार्च, 2020 तक सीजीटीएमएसई का कॉर्पस 8,682 करोड़ रूपये और कुल निधि का आकार 12,848 करोड़ रूपये था। कॉर्पस को देखा जाए तो सीजीटीएमएसई का वर्तमान लाभ लगभग 8 गुना है जो ट्रस्ट के उद्यम जोखिम प्रबंधन की समीक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा लगाए गए एक पेशेवर एजेंसी के अनुसार उत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप है।"

14. दुनिया भर में अन्य देशों द्वारा संचालित की जा रही ऐसी अन्य योजनाओं की तुलना में न्यास की गारंटी लिखत के कार्यकरण को स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

" सीजीटीएमएसई एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशंस कन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) का सदस्य है। एसीएसआईसी 11 देशों के 16 सदस्य संस्थानों वाला लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए सबसे बड़ा एशियाई निगम

निकाय है। एसीएसआईसी के वर्तमान सदस्य देश भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, ताइवान और थाईलैंड हैं। एसीएसआईसी की स्थापना 1987 में साउंड क्रेडिट सप्लीमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सदस्य देश अपने-अपने देश में रोटेशन द्वारा सदस्यों के सम्मेलन का आयोजन करता है। सम्मेलन में प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया जाता है और यह क्रेडिट सप्लीमेंट पर जानकारी को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। यह भविष्य में एक सतत विकास में योगदान देने वाले देश के बारे में एक सकारात्मक छवि बनाते हुए सदस्यों के बीच संबंधों को गहरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है।प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अपने संबंधित देशों में क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं के दायरे और आवश्यकता के अनुसार संचालित होते हैं। वार्षिक सम्मेलनों के दौरान, प्रतिभागियों द्वारा सम्मेलन के विषय के आधार पर प्रस्तुतियां देकर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है और इससे एशियाई क्षेत्र में मौजूदा गारंटी संगठनों के बीच सहयोग और अधिक बढ़ता है और अनुभव प्राप्त होने से गारंटी संगठनों को लाभ होता है। हालांकि, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया है, सर्वोत्तम प्रथाओं की तुलना करने के लिए कोई सटीक समानांतर व्यवस्था नहीं चलाई जा रही हैं, क्योंकि प्रत्येक देश द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार गारंटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तथापि, इन सम्मेलनों/संवादों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, सीजीटीएमएसई ने समय-समय पर अपनी गारंटी योजना को संशोधित किया है।इसके अलावा, विशेषज्ञता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए, सीजीटीएमएसई ने मुख्य परिचालन अधिकारी और मुख्य आईटी अधिकारी को खुले बाजार से नियुक्त किया है।"

15. जहां तक क्रेडिट गारंटी सुविधाओं का संबंध है, अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत की स्थिति के बारे में समिति के एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"... यह महसूस किया गया है कि न केवल व्यवसाय के प्रकार के मामले में बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं, आकार, धन की उपलब्धता आदि के मामले में भी ऐसी कोई संस्था अस्तित्व में नहीं है जो सीजीटीएमएसई के समान है।"

16. सीजीटीएमएसई न्यास में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता के बारे में मंत्रालय के विचार के संबंध में पूछे जाने पर,मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया :

"सीजीटीएमएसई ने व्यवसाय प्रक्रिया रिइंजिनियरिंग और उद्यम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए सलाहकारों की सेवाएं ली थी। सलाहकारों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एक मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति की गई है और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इनसे जोखिम से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में न्यास का मार्गदर्शन करने की आशा की जाती है।"

तीन. ट्रस्ट का परिचालन ढांचा

(एक) <u>ट्रस्ट का बिजनेस मॉडल</u>

17. सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) एक सरकारी हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य एमएसई की क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऋणदाता परियोजना की व्यवहार्यता पर बल दे और विशुद्ध रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा पर क्रेडिट सुविधा प्राप्त करे। अन्य उद्देश्य यह है कि गारंटी सुविधा का लाभ लेने वाला ऋणदाता एमएसई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं को समेकित क्रेडिट (एकल

एजेंसी से सावधिक ऋण तथा कार्यशील पूंजीगत सुविधाएं) प्रदान करने का प्रयास करे।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि वर्तमान में वेब आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीजीटीएमएसई द्वारा 200 लाख रु. तक की परियोजनाओं की गारंटी दी जा रही थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने समिति को एक लिखित उत्तर में सूचित किया है कि सीजीटीएमएसई का वर्तमान कोष 8682 करोड़ रु. किया जाना है और कुल निधि 12848 करोड़ रु. किया जाना है।

19. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) (जुलाई 2015- जून 2016) के 73वें दौर के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित नियोजित व्यक्ति लगभग 11.10 करोड़ हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की जानकारी के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 30.30% और अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में 37.30% का योगदान दिया, और एमएसएमई से संबंधित उत्पादों की निर्यात हिस्सेदारी 49.80% था। प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया है कि एमएसई के कारोबार, निर्यात और रोजगार के आंकडों के संदर्भ में सीजीटीएमएसई के प्रभाव का अनुमान गारंटी कवर मांगने के लिए आवेदन दर्ज करने के समय एमएलआई द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लगाया गया था।

20. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में एमएसएमई के महत्व और सीजीटीएमएसई की भूमिका को रेखांकित करने के बाद, सीजीटीएमएसई के कारोबार मॉडल का ब्यौरा देना महत्वपूर्ण है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

क) कॉर्पस निधि में भारत सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो भारत सरकार का एक उपक्रम भी है, द्वारा अंशदान दिया जाता है।

ख) सीजीटीएमएसई एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है तथा इसका संचालन भारत सरकार और सिडबी के बीच क्रियान्वित ट्रस्ट विलेख के प्रावधानों तक सीमित हैं। सीजीटीएमएसई अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को निधि प्रवाह में सहायता करता है।

ग) एमएसई को ऋणों की स्वीकृति तथा संवितरण वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा किया जाता है। सीजीटीएमएसई तथा उधारकर्ता एमएसई के बीच कोई संबंध नहीं है। सीजीटीएमएसई किसी भी प्रकार से वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एमएसई को सहायक सुविधाएं प्रदान नहीं करता है।

घ) सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) के नाम से जाने वाले पात्र एफआई को एमएसई को दिए गए क्रेडिट के लिए सीजीटीएमएसई से गारंटी प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करना होता है। इस उद्देश्य के लिए एमएलआई को सीजीटीएमएसई के साथ एक करार करना होता है।

ङ) एमएलआई 2 करोड़ रुपये तक के क्रेडिट के लिए सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर प्राप्त कर सकते हैं। सीजीटीएमएसई से गारंटी प्राप्त करने के लिए क्रेडिट सुविधा को किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष गारंटी से मुक्त होना चाहिए।

च) ऋण आवेदनों का मूल्यांकन या प्रस्तावित कारोबार का मूल्यांकन एमएलआई का एकमात्र उत्तरदायित्व है। 50 लाख रुपये से ऊपर के ऋण की क्रेडिट रेटिंग, एमएलआई के लिए अनिवार्य है।

छ) योजना मापदंडों के पूरा होने के पश्चात सीजीटीएमएसई गारंटी को अनुमोदित करता है। सीजीटीएमएसई, एमएलआई द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर गारंटी जारी करता है।

ज) सीजीटीएमएसई का गारंटी दस्तावेज ऋण राशि का 50/75/80/85 प्रतिशत (उत्पादों/उद्यमियों/क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार) कवर करता है।

21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिए हैं:

"सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनएसआईसी, एनईडीएफआई, सिडबी, एसएफसी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और सहकारी बैंक जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ एक समझौता किया है, ऋण गारंटी योजना के लिए उधार देने हेतु पात्र ऋणदात्री संस्थान हैं।

सीजीटीएमएसई के साथ एक समझौता करने पर पात्र ऋणदात्री संस्था सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) बन जाती हैं। वर्तमान में, सीजीटीएमएसई के 145 पंजीकृत एमएलआई हैं जो ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) का लाभ उठा रहे हैं।"

(दो) <u>विनियामक ढांचा</u>

22. ट्रस्ट बैंकिंग क्षेत्र के मामले में आरबीआई जैसे और वित्तीय क्षेत्र और शेयर बाजारों के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है/उनके जैसा प्राधिकार नहीं रखता है। भारत सरकार/ट्रस्ट ने स्वीकृत/जारी गारंटियों की तुलना में ट्रस्ट के लिए न्यूनतम नकदी आवश्यकताओं के संबंध में कोई मानदंड/बेंचमार्क तय नहीं किए हैं, और यह भी देखा गया है कि ट्रस्ट के कई पहलुओं जैसे कि इसके संचालन का दायरा, शासन, पूंजी और परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ राज्य के स्वामित्व वाली निधियों तक पहुंच आदि को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं थे।

23. ट्रस्ट, गैर-वित्तपोषित एमएसई को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में शामिल नहीं है क्योंकि अनुमोदित योजनाओं के अनुसार मूल्यांकन, मंजूरी, संवितरण और वसूली की कार्यवाही पूरी तरह से एमएलआई की जिम्मेदारी है।

24. उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट ने लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना/मानव संसाधन नीति का निर्धारण नहीं किया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मुख्य जोखिम अधिकारी नहीं है कि ऋण, बाजार, संचालन और कॉर्पस फंड की नकदी से संबंधित जोखिम की पहचान

चिह्नित, मूल्यांकित, प्रबंधित, निगरानी की जाए और वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड को सूचित की जाए।

25. उचित विनियामक ढांचे के अभाव के मुद्दे पर, एमएसएमई के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए निम्नवत बताया:-

> "... एकमात्र मुद्दा यह है कि हमारी अपनी आंतरिक चर्चा के दौरान, दो से तीन विचार सामने आए हैं। एक यह है कि क्या इन दो तंत्रों के लिए दो अलग-अलग विनियामक होने चाहिए अर्थात् एनसीजीटीएसई और सीजीटीएमएसई। दूसरा विचार यह है कि एक संयुक्त विनियामक होना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि इनमें से प्रत्येक में क्या हो रहा है ताकि वे अंतर को पाट सकें और यदि एक में कोई अंतर उत्पन्न हो रहा है तो क्या इसे दूसरे तंत्र से पाटा जा सकता है। तीसरा विचार यह है कि कुछ मौजूदा विनियामक द्वारा इस भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है। यह आरबीआई हो सकता है, यह आईआरडीए आदि हो सकता है। ये तीन विचार हैं। हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम आपके निदेश और मार्गदर्शन के साथ सरकार के पास वापस जाएंगे। हम राय लेंगे।"

26. सीजीटीएमएसई के गठन के समय, आरबीआई (ईडी स्तर के अधिकारी) का एक प्रतिनिधि न्यासी बोर्ड का हिस्सा था। तथापि, बाद में आरबीआई के विशिष्ट अनुरोध पर, भारत सरकार द्वारा उक्त प्रतिनिधित्व वापस ले लिया गया था और आईबीए के चेयरमैन को एक प्रतिस्थापन के रूप में न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया था। विनियामक ढांचे के संबंध में एक प्रश्न पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"सीजीटीएमएसई 20 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है और इसने कभी भी नकदी/कॉर्पस की कमी से संबंधित मुद्दों का सामना नहीं किया है। ट्रस्ट, व्यवस्थापकों (एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी) द्वारा प्रदत्त पूंजी के साथ आत्मनिर्भर रहा है। अब तक एक भी उदाहरण नहीं आया है, जहां ट्रस्ट ने अपने कॉर्पस में कमी का अनुभव किया हो। सीजीटीएमएसई का मुख्य कार्य ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से एमएसई को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। जैसाकि गारंटी प्रचालन से देखा जा सकता है कि सीजीटीएमएसई, एमएसई उधारकर्ताओं को ऋण की सुविधा उपलध कराने का अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है जो अन्यथा औपचारिक ऋणदाताओं से अपेक्षित ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए कि ऋणदात्री संस्थाएं (जिसके माध्यम से योजना चलती है) आरबीआई से विनियमित होती हैं और उपरोक्त परिचालनों इत्यादि के संबंध में संसाधन जुटाने, ऋण देने, वसूली, निवेश, और जोखिम शमन नीतियों के लिए उनके परिचालन दिशानिर्देश संबंधित बोर्डों/प्रबंधन द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समग्र फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए जाते हैं। सीजीटीएमएसई ने अपने सभी प्रकार के कार्यों यथा गारंटी प्रचालन, निवेश, आदि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को लागू कर दिया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सीजीटीएमएसई केवल ऋणदात्री संस्थाओं को गारंटी सेवाएँ प्रदान करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। इसके अलावा, ऐसी ऋणदात्री संस्थाओं के पास अन्य बातों के साथ-साथ, एमएसई उधारकर्ताओं को ऋण देने से उत्पन्न होने वाले जोखिम से निपटने के लिए बोर्ड स्तरीय समितियां यथा लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति आदि होती हैं। इसलिए कि सीजीटीएमएसई का केवल आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष लेनदेन है, लेखापरीक्षा समिति इत्यादि

की स्थापना आदि की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई ने पहले ही एक पेशेवर एजेंसी के माध्यम से एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार कर ली है और उसे लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, एक जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है और एक जोखिम समिति का गठन किया गया है जो गारंटी प्रचालन, निवेश आदि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का ध्यान रखती है।"

27. एक क्रेडिट गारंटी प्राधिकरण के गठन के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया कि इसे कार्यान्वित करने की एक समय-सीमा को इंगित करना मुश्किल होगा।

28. श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिश यह है कि सभी ऋण गारंटी योजनाएं आरबीआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होनी चाहिए। ये दिशानिर्देश विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एसएमई के लिए सार्वजनिक ऋण गारंटी योजनाओं के डिजाइन कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप होंगे।

29. इसके अलावा, यह पूछे जाने पर कि क्या विनियामक ढांचे और पर्यवेक्षी प्राधिकरण की कमी ने ट्रस्ट के कार्यकरण और नियंत्रण को प्रभावित किया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"यह उल्लेख किया जाता है कि सीजीटीएमएसई, आरबीआई द्वारा विनियमित ऋणदात्री संस्थानों को गारंटी सेवाएं प्रदान कर रहा है। चूंकि सीजीटीएमएसई,

आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ काम कर रहा है, एक अलग विनियामक की कमी ने ट्रस्ट के कार्यकरण और नियंत्रण को प्रभावित नहीं किया है। जैसा कि गारंटी प्रचालन से देखा जा सकता है, सीजीटीएमएसई ने अपने 20 वर्षों के प्रचालन के दौरान 43 लाख से अधिक लाभार्थी खातों में 2.22 लाख करोड़ रुपये के संचयी ऋण की सुविधा प्रदान की है।"

30. इस संबंध में पूछे गए एक और प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

"सीजीटीएमएसई की निगरानी इसके बोर्ड और व्यवस्थापकों (एमएसएमई, भारत सरकार और सिडबी मंत्रालय) द्वारा की जाती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सीजीटीएमएसई के गठन के समय, आरबीआई (ईडी स्तर के अधिकारी) का एक प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का हिस्सा था। तथापि, बाद में आरबीआई के विशिष्ट अनुरोध पर, भारत सरकार द्वारा उक्त प्रतिनिधित्व वापस ले लिया गया था और आईबीए के अध्यक्ष को एक प्रतिस्थापन के रूप में न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया था। सीजीटीएमएसई 20 से अधिक वर्षों से काम कर रहा है और कभी भी नकदी / कोष में कमी होने से संबंधित किसी भी मुद्दे का सामना नहीं किया है। ट्रस्ट, व्यवस्थापकों (एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी) द्वारा प्रदत्त पूंजी के साथ आत्मनिर्भर रहा है। अब तक एक भी उदाहरण नहीं आया है, जहां ट्रस्ट ने अपने कॉर्पस में कमी का अनुभव किया हो।

सीजीटीएमएसई का मुख्य कार्य ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से एमएसई को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। जैसाकि गारंटी प्रचालन से देखा जा सकता है कि सीजीटीएमएसई ने अपने 20 वर्षों के संचालन के दौरान 43 लाख से अधिक लाभार्थी खातों में ₹2.22 लाख करोड़ के संचयी ऋण की

सुविधा प्रदान की है। इस प्रकार, सीजीटीएमएसई ने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक सक्षमकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नई पीढ़ी सहित उद्यमियों को उनकी उद्यमशीलता यात्रा में लाभान्वित किया है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि सीजीटीएमएसई, एमएसई उधारकर्ताओं को ऋण की सुविधा प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, जो अन्यथा औपचारिक ऋणदाताओं से अपेक्षित ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीजीटीएमएसई ने अपने सभी प्रकार के कार्यों यथा गारंटी प्रचालन, निवेश, आदि के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित आवश्यक दिशानिर्देशों को लागू कर दिया है। यह नोट किया जाए कि सीजीटीएमएसई केवल ऋणदात्री संस्थाओं को गारंटी सेवाएँ प्रदान करता है और ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। उपरोक्त परिचालनों के संबंध में संसाधन जुटाने, उधार देने, वसूली, निवेश और जोखिम कम करने की नीतियों के लिए परिचालन दिशानिर्देश आरबीआई दिशानिर्देशों के समग्र ढांचे के भीतर उनके संबंधित बोर्ड/प्रबंधन द्वारा तैयार किए जाते हैं।

इसके अलावा, ऐसी ऋणदात्री संस्थाओं के पास अन्य बातों के साथ-साथ, एमएसई उधारकर्ताओं को ऋण देने से उत्पन्न होने वाले जोखिम से निपटने के लिए बोर्ड स्तरीय समितियां यथा लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति आदि होती हैं। यह बताया जाता है कि सीजीटीएमएसई का केवल आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष लेनदेन है और इसका केवल एक ही अधिदेशित उत्पाद है अर्थात। गारंटी प्रदान करना। इसलिए, लेखापरीक्षा समिति आदि की स्थापना से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इसकी आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई ने पहले ही एक पेशेवर एजेंसी के माध्यम से उद्यम जोखिम

प्रबंधन नीति तैयार की है और इसे लागू किया जा रहा है। साथ ही, एक जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है और एक जोखिम समिति का गठन किया गया है, जो गारंटी संचालन, निवेश आदि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का ध्यान रखती है।"

31. न्यासी बोर्ड (बीओटी) ने नवंबर, 2015 में एक सलाहकार फर्म द्वारा ट्रस्ट के लिए विनियामक दिशानिर्देश तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। फर्म ने मई, 2017 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें सीजीटीएमएसई के लिए एक लेखांकन ढांचे, सॉल्वेंसी और पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदंड, लीवरेज अनुपात और ट्रस्ट के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना जैसे न्यूनतम मानदंड तय तय करने का सुझाव दिया गया है। तथापि, सलाहकार की रिपोर्ट बीओटी के समक्ष नहीं रखी गई थी।

32. मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि सीजीटीएमएसई ने बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए एक सलाहकार को फिर से नियुक्त किया है, जो उस समय चल रहा था जब लेखापरीक्षा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेखापरीक्षा ने पाया है कि यह रिपोर्ट बोर्ड/व्ययवस्थापकों के विचारार्थ उनके समक्ष रखी जाएगी।

33. मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करते समय, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव ने उल्लेख किया कि ट्रस्ट के लिए एक विनियामक होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार और "किस तरीके से, यह एकमात्र मुद्दा है जिसे सरकार द्वारा तय किया जाना है"।

(तीन) <u>कार्यों का अतिव्यापन - एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई</u>

34. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट निधियों के प्रबंधन तथा परिचालन के लिए मार्च, 2014 में सम्मिलित किया गया था। एनसीजीटीसी की निधियों में से एक, सूक्ष्म इकाईयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएमयू), बैंकों, एनबीएफसी/एमएफआई और इसी तरह के कारोबार में लगे अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने 18 अप्रैल, 2016 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए सीजीएफएमयू को अधिसूचित किया।

35. सीजीटीएमएसई के बोर्ड ने 5 अगस्त, 2015 को हुई अपनी बैठक में संकल्प लिया कि एक बार एनसीजीटीसी द्वारा पीएमएमवाई/मुद्रा के तहत गारंटी योजना को चालू करने के बाद ट्रस्ट द्वारा अपने एमएलआई को 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई नई गारंटी नहीं दी जाएगी। । इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बैंकों, सिडबी और सीजीटीएमएसई की बैठक के दौरान 5.1.2017 को एक निर्णय लिया गया कि 10 लाख रुपये तक के ऋण सीजीटीएमएसई के तहत कवर नहीं किए जाने चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)/मुद्रा के तहत कवर किया जाना चाहिए।

36. तथापि, ट्रस्ट ने मंत्रालय के निदेशों को लागू नहीं किया और ऋण, जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के सूक्ष्म ईकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के तहत गारंटी कवर के लिए पात्र थे, के लिए गारंटी प्रदान करना जारी रखा। इस प्रकार, एनसीजीटीसी (नेशनल क्रेडिट

गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड) और सीजीटीएमएसई दोनों एक ही प्रकार की परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु गारंटी जारी करते रहे हैं।

37. लेखापरीक्षा ने सीजीटीएमएसई द्वारा 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी देना जारी रखने पर आपत्ति जताई, यद्यपि, मंत्रालय ने उन्हें बंद करने का निदेश दिया था, क्योंकि ये गारंटी एनसीजीटीसी द्वारा कवर की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट ने स्वयं निर्णय लिया कि एमएलआई को विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे किस एजेंसी से गारंटी लेना चाहते हैं। दो अलग-अलग सरकारी समर्थित संस्थाओं से एक ही प्रकार की परियोजनाओं के लिए गारंटी की सुविधा देने के परिणामस्वरूप न केवल संस्थानों के कार्यों का अतिव्यापन होता है, बल्कि दोनों संस्थाओं के विकास को भी बाधित करती है, क्योंकि एक ही उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए समय, जनशक्ति और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है। गारंटी के अतिव्यापन के मामलों को चिह्नित करने और उन्हें रोकने के लिए सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी और विभिन्न एमएलआई के बीच कोई समन्वय नहीं था। दोनों संस्थाओं से गारंटी प्राप्त करने वाले एमएलआई के पास परस्पर अपवर्जन सुनिश्चित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इससे कुछ उद्यमियों के पास धन जमा हो गया है और क्रेडिट फंड के क्षैतिज प्रसार को रोक दिया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट ने मंत्रालय के निदेश का उल्लंघन करते हुए 6 जनवरी, 2017 और 30 सितंबर, 2018 के दौरान 10 लाख रूपए तक के ऋण के लिए 10,743.65 करोड़ रुपये की 3,70,391 गारंटियां जारी की हैं।

38. समिति ने श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी नोट किया , जिसमें सिफारिश की

गई कि एनसीजीटीसी को एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि सीजीटीएमएसई मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व में है, जिसमें सिडबी का अंश कम है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इन दोनों संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन को पेशेवर बनाया जाए और इनको एक व्यापक पूल से लिया जाए। इसके अलावा, यह भी महसूस किया गया कि सिडबी का स्वयं को एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई दोनों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और बोर्ड से अलग कर लेना उपयुक्त होगा।

39. यह पूछे जाने पर कि सीजीटीएमएसई ने उपरोक्त सिफारिशों का अनुपालन क्यों नहीं किया और गैर-वित्तपोषित ऋणों को कवर करने के लिए गारंटी मामलों को और व्यापक करने का प्रयास क्यों नहीं किया, समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:
-

"सीजीटीएमएसई के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पात्र ऋणों के लिए गारंटी कवर के लिए आवेदन करते समय सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी लिमिटेड द्वारा संचालित गारंटी योजना को चुनने का विकल्प संबंधित एमएलआई पर छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है कि एक ही क्रेडिट सुविधा दोनों गारंटी संगठनों द्वारा कवर नहीं होती है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि एनसीजीटीसी केवल 10 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण को कवर कर सकता है। इसके अलावा, 10 लाख रुपये तक के सभी ऋण मुद्रा ऋण नहीं हैं और इसलिए एमएलआई को सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर लेने का विकल्प दिया जाना चाहिए। कई एमएलआई ने फीडबैक दिया है कि वे 10 लाख रुपये से कम के ऋणों के खंड में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (सीजीएफएमयू) की तुलना में सीजीटीएमएसई के गारंटी कवर के पक्षधर हैं और सीजीटीएमएसई योजना को जारी रखना चाहते हैं । यह उल्लेख किया जा सकता है कि 20 लाख रुपये से कम के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई का पोर्टफोलियो इसके कुल पोर्टफोलियो का 50% से अधिक है। इसलिए यह प्रस्ताव

किया गया है कि सीजीटीएमएसई को 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दी जा सकती ।"

40. मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय/न्यास के प्रतिनिधि ने इस बिंदु पर निम्नानुसार स्पष्ट किया:-

"लेकिन हमारा अपना विचार है कि इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह एमएलआई को अधिक विकल्प देता है, यह छोटी इकाइयों को अधिक विकल्प देता है...। यह विषय सम्मानित समिति के विचारार्थ है। आपके मार्गदर्शन के आधार पर हम इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार के पास जाएंगे।"

(चार) <u>गारंटी योजना का कवरेज और प्रभाव</u>

41. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एमएसई क्षेत्र के कुल बकाया ऋण में सीजीटीएमएसई की भागीदारी केवल 5.66% थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई गारंटियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है

वित्त वर्ष	संख्या	राशि करोड़ रु. में
16-17	4,52,127	19,931.49
17-18	2,63,195	19,065.90
18-19	4,35,520	30,168.57
19-20	8,46,650	45,851.22

42. नीति में परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करते समय यह सूचित किया गया है कि सीजीटीएमएसई ने पिछले तीन वर्षों में अत्यधिक वृद्धि दिखाई दी है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, अनुमोदित गारंटियों की राशि पिछले वर्ष की अवधि के 30,169 करोड़ रुपए से बढकर 45,851 करोड़ रुपए हो गई इसमें 52% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019में गारंटियों की संख्या 94% वृद्धि दर्ज करते हुए , 4.36 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 8.47 लाख हो गई।

43. समिति ने यह भी नोट किया कि सीजीटीएमएसई से एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के लिए के.वी. कामथ समिति की सिफ़ारिश में सीजीटीएमएसई के तहत दिये जाने वाले ऋण के कवरेज को 15% करने पर जोर दिया गया है । यह पूछे जाने पर कि भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या प्रस्ताव किया है, मंत्रालय ने प्रथम दृष्टांत में लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"सीजीटीएमएसई द्वारा चलाई जा रही गारंटी स्कीम, एमएलआई आधारित स्कीम है तथा गारंटी लेने का विकल्प पूर्णतया एमएलआई के पास है। एमएलआई को न तो उक्त स्कीम के अंतर्गत उनके सभी एमएसई ऋणों को कवर करने के लिए अधिदेशित किया गया है और न ही ऐसे सभी ऋण कवरेज के लिए पात्र है।"

44. मामले में आगे की जांच के संबंध में मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि कम कवरेज की स्थिति का विश्लेषण किया गया था और हाल ही में क्रेडिट गारंटी उत्पादों जैसे हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल, खुदरा व्यापार कार्यकलाप का समावेशन, गारंटी कवरेज की सीमा को 75% तक करना, बकाया राशि पर गारंटी शुल्क प्रभारित करना, एनबीएफसी, एसएफबी, सहकारी बैंकों आदि में क्रेडिट गारंटी उत्पादों में प्रमुख नीतिगत परिवर्तन किए गए थे जिसने एमएलआई के साथ-साथ एमएसई प्राप्तकर्ताओं के लिए भी क्रेडिट गारंटी स्कीम को और अधिक आकर्षक बना दिया ।

45. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए दो योजनाएं संचालित थीं, मंत्रालय से उन तरीकों के बारे में पूछा गया जिनके द्वारा सार्वभौमिक क्रेडिट गारंटी आदर्श रूप से प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया :-

" प्रत्येक देश द्वारा अपने देश में क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं के दायरे और आवश्यकता के अनुसार संचालित होते हैं।गारंटी कवरेज आम तौर पर 50% से 100% के बीच होता है। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई की योजना के भीतर, एमएसई क्षेत्र के जरूरतमंद वर्ग को कुछ लाभ देने के साथ-साथ जोखिम के दृष्टिकोण से ट्रस्ट की वित्तीय व्यवहार्यता को सुरक्षित रखने के लिए भिन्नात्मक कवरेज / शुल्क निर्धारित किया गया है।"

(पाँच) <u>कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान</u>

46. समाज के कमजोर वर्गों को दी गई क्रेडिट गारंटी के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, एमएसएमई ने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

> " एम एल आई द्वारा सीजीटीएमएसई को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग 3% है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सीजीटीएमएसई के साथ गारंटी के लिए आवेदन करते समय एमएलआई क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति के समय उनके पास उपलब्ध आंकड़ों को अद्यतित करता है। इसके अतिरिक्त, ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे बैंक में ऋण के लिए आवेदन करते समय श्रेणी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करें। इसके अतिरिक्त, साझेदारी फर्म और सीमित कंपनियों के संबंध में सामाजिक श्रेणी करण प्राप्त करना एमएलआई के लिए कठिन हो सकता है।

क्रेडिट गारंटी, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं/बैंकों के मांध्यम से कार्यान्वित एक मांग आधारित योजना है। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं/बैंकों द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीकृत हैं। सरकार के निर्देशानुसार महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों को कवर करने के लिए ऋणदात्री संस्थाओं/बैंकों का अपना लक्ष्य है। सीजीटीएमएसई सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं/बैंकों द्वारा स्वीकृत ऐसी सभी पात्र ऋण सुविधाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। हालांकि,

सीजीटीएमएसई महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले एमएसई को अतिरिक्त गारंटी कवरेज प्रदान करके और रियायती गारंटी शुल्क लगाकर भी लाभ प्रदान करता है।"

(छह) <u>कोविड 19 महामारी का प्रभाव</u>

47. छोटी इकाइयों को दी गई गारंटियों पर कोविड-19 और विमुद्रीकरण का प्रभाव स्पष्ट करते हुए, एमएसएमई ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

" अर्थव्यवस्था पर सीजीटीएमएसई के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट द्वारा एक व्यावसायिक एजेंसी समनुदेशित की गई है। यह एजेंसी सीजीटीएमएसई की लाभार्थी इकाइयों के साथ परस्पर वार्ता करेगी तथा प्रतितथ्यात्मक स्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस एजेंसी ने पहले ही सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। तथापि, कोविड महामारी के कारण सर्वेक्षण को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है, जिसके अप्रैल, 2021 से पुनः प्रारंभ होने की संभावना है।यह एजेंसी कोविड-19 और सीजीटीएमएसई गारंटी के अंतर्गत कवर किए गए एमएसई के विमुद्रीकरण के प्रभाव को कवर करेगी ।यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2018, 2019 तथा 2020 के दौरान क्रमशः 967 करोड़

रुपए, 817 करोड़ रुपए और 1002 करोड़ रुपए के दावों को निपटाया है। इसका आशय यह है कि विमुद्रीकरण का न्यास द्वारा दी गई गारंटियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

48. सरकार द्वारा 'कोविड-उपरांत' एमएसएमई क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मौखिक साक्ष्य देते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण।
ii) दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण।
iii) एमएसएमई निधियों की निधि के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन
iv) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
v) व्यापार करने की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के जरिए एमएसएमई का नया पंजीकरण।
vi) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं, इससे एमएसएमई को सहायता प्राप्त होगी।

49. इसके अलावा, 1 जून, 2020 से एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियन" शुरू किया गया है जिसमें शासन और शिकायत निवारण और एमएसएमई के हैंडहोल्डिंग के कई पहलू शामिल हैं।

50. यह पूछे जाने पर कि महामारी तथा लॉकडाउन के कारण लगे बाहरी झटके के परिणामस्वरूप प्रभावित हुए व्यवसायों वाले एमएसएमई को सहायता प्रदान करने हेतु सीजीटीएमएसई द्वारा क्या अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया :-

" सीजीटीएमएसई महामारी तथा लॉकडाउन के कारण लगे बाहरी झटके के परिणामस्वरूप हुए विघटन के कारण प्रभावित दबावग्रस्त एसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीजीटीएमएसई गारंटी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा में आवश्यकता आधारित छूट की भी अनुमति प्रदान कर रहा है। न्यास ने कोविड के कारण बकाया आधार पर प्रति ऋण प्राप्तकर्ता 200 लाख रुपए तक की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर ऋण प्राप्तकर्ता को एमएलआई द्वारा संस्वीकृत अतिरिक्त ऋण के लिए गारंटी की भी अनुमति प्रदान की है।"

51. पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों की घोषणा/शुरुआत की गई:

- सीजीटीएमएसई के अंतर्गत संस्वीकृत राशि के बजाय बकाया ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) प्रभारित करना।

- एमएसई खुदरा व्यापार खंड को कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) की कवरेज का विस्तार करना।

- क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत आंशिक कॉलेटरल सिक्योरिटी के साथ ऋण को अनुमति प्रदान करना। इससे क्रेडिट गारंटियों के दायरे के अंतर्गत ऋण की बहुत बड़ी मात्रा को शामिल किया गया है।

- 50 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए मौजूदा गारंटी को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

- एनबीएफसी के लिए नए उत्पाद की शुरुआत ताकि उन्हें क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत ऋण गारंटियां प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। एनबीएफसी को क्रेडिट गारंटी के लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने से स्कीम की कवरेज में वृद्धि होगी क्योंकि एनबीएफसी एमएसई क्षेत्र की क्रेडिट मांग को पूरा करने में वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन चुका है।

- लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक तथा फिनटेक एनबीएफसी ने एमएसई को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए सीजीटीएमएसई ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत लघु वित्त बैंकों, फिन-टेक एनबीएफसी तथा सहकारी बैंकों को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के रूप में पंजीकृत किया है।

- सीजीटीएमएसई ने 200 लाख रुपए की एकबारगी उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया है और एमएसई बकाया आधार पर 200 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन वृद्धिपरक ऋण सुविधाओं पर क्रेडिट गारंटी प्राप्त कर सकते हैं।

(सात) <u>गारंटी मामलों की संख्या में गिरावट</u>

52. ट्रस्ट के कारोबार में गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा था क्योंकि एमएसई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए एमएलआई को जारी किए गए गारंटी कवर की संख्या 2016-2019 के दौरान 4.63 लाख से काफी कम होकर 1.79 लाख (61%) हो गई। तदनुरूप इस अवधि के दौरान जारी की गई गारंटियों की राशि 18,416.62 करोड़ रूपए से घटकर 15,241.57 करोड़ रुपये (17%) हो गई।

53. वर्ष 2016 और 2019 से धनराशि में लगातार गिरावट और जारी गारंटियों की संख्या में भारी गिरावट के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने इस गिरावट को स्वीकार किया और निम्नानुसार उत्तर दिया:

> "..., न्यास का व्यवसाय वित्त वर्ष 2015-2018 के दौरान एक अन्य संगठन अर्थात एनसीजीटीसी के समावेशन के कारण स्थिर था। न्यास ने इसका विश्लेषण किया और तदनुसार एमएलआई और एमएसई ऋण प्राप्तकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सीजीटीएमएसई के पुन: प्रचालन के दौरान मौजूदा गारंटी उत्पादों में मुख्य नीतिगत परिवर्तन किए गए। इन नीतिगत परिवर्तनों से वित्त वर्ष 2019 से सीजीटीएमएसई पोर्टफोलियों ने वृद्धि करना आरम्भ कर दिया। वित्त वर्ष 2018 में अनुमोदित गारंटियों की राशि 19,066 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, अनुमोदित गारंटियों की राशि पिछले वर्ष की अवधि के 30,169 करोड़ रुपए से बढकर 45,851 करोड़ रुपए हो गई जिसने 52% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019में गारंटियों की संख्या 4.36 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 94% वृद्धि दर्ज करते हुए 8.47 लाख हो गई। यह गारंटी अनुमोदन में अब तक की उच्चतम वृद्धि थी।
>
> संचयी रूप से, 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार 2.22 लाख करोड़ रुपए के लिए 43 लाख गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।"

54. यह नोट करते हुए कि मंत्रालय ने विशेष रूप से 2016-2019 के दौरान धनराशि में और दी गई गारंटियों की संख्या में लगातार गिरावट के कारणों का उल्लेख नहीं किया है, समिति ने महसूस किया कि इसका एक कारण एनसीजीटीसी को शामिल करना हो सकता है जिसने सीजीएफएमयू के तहत 10 लाख रुपये के ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना शुरू कर दिया है। । इस प्रकार, सीजीएमएसई ट्रस्ट के मामले में 10 लाख रुपये तक के ऋण की राशि में गिरावट आई है। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया है कि मंत्रालय और प्रबंधन ने इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस संबंध में, समिति को निम्नवत सूचित किया गया है:

"सीजीटीएमएसई गारंटी योजना के समग्र ढांचे के अनुसार ऋण प्राप्तकर्ता का मूल्यांकन और उसकी सम्यक तत्परता एमएलआई की जिम्मेदारी है। एमएलआई को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होता है जिसमें यह उल्लेख होता है कि उन्होनें पर्याप्त सम्यक तत्परता बरती है।

यदि किसी खाते को ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वाला खाता घोषित किया जाता है तो वह सीजीटीएमएसई द्वारा दावे के निपटान का पात्र नहीं है। यदि गारंटी जारी करने के बाद विसंगतियां पाई जाती हैं तो सीजीटीएमएसई के पास गारंटी वापस लेने/दावे को अस्वीकार करने का अधिकार है इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा विनियमित ऋणदात्री संस्थाओं को किसी खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अतः ऋणदात्री संस्था को इस संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।"

55. मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय से जमीनी स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा गया जहां एमएलआई ने संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी की कमी के कारण एमएसएमई के ऋण को अस्वीकार कर दिया और क्या ऐसे मामलों में ट्रस्ट के

लिए आवेदक को गारंटी देना और एमएलआई को ऋण देने के लिए कहना संभव था। मंत्रालय ने इस संबंध में अपने लिखित उत्तर में बताया है कि ऋण देने के लिए बैंकों के अपने आंतरिक दिशानिर्देश हैं और सीजीटीएमएसई उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। आरबीआई इस तरह के दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

चार. ट्रस्ट का निष्पादन

(एक) वित्तीय निष्पादन

56. वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान ट्रस्ट ने व्यय की तुलना में आय को अत्यधिक बताया गया है। यह 62.47 करोड़ के आयकर के प्रतिदाय पर ब्याज के कारण थी। इसे बढाकर 7500 करोड़ कर दिया गया था जिसमें से सरकार का हिस्सा 7000 करोड़ है और एसआईडीबीआई का हिस्सा 500 करोड़ है।

57. भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 और 2018-2019 में क्रमश: 57.68% और 11.15% का योगदान दिया है। ट्रस्ट के साथ निधि का लाभ उठाने के संबंध में, बताई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में संपार्श्विक मुक्त ऋण गारंटी कायिक निधि का पांच गुना था और इसे 2010 में बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया था। गारंटी अनुमोदन के आधार पर लीवरेज बेंचमार्क सही तस्वीर नहीं दर्शाता है क्योंकि ट्रस्ट केवल गारंटी दिए गए हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और एमएलआई के हिस्से को बाहर रखा गया है। ट्रस्ट तकनीकी आधार पर खारिज किए गए पहले दावों और एमएलआई द्वारा दर्ज किए जाने वाले दूसरे दावों के लिए खर्च का अनुमान नहीं लगाता है। साथ ही, बताई गई जानकारी के अनुसार, तकनीकी आधार पर आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं और सूचना शिक्षा अभियान (आईईसी) पूरे उपायों के साथ लागू नहीं किया जा रहा है।

(दो) <u>डाटा से संबधित परिचालनात्मक समस्याएं</u>

58. सीजीएस-एक योजना के तहत, एमएलआई को ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता की जानकारी को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना आवश्यक है। एमएलआई को ऋण के वितरण के बाद उधारकर्ताओं द्वारा बनाई गई प्राथमिक सुरक्षा के वित्तीय विवरण को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्यौरे एनपीए को चिह्नित करने और पहले दावे को दर्ज करने के समय अपलोड किए जाते हैं। योजना के अनुसार ट्रस्ट एमएलआई द्वारा भरे गए अनिवार्य ब्यौरे जैसे गतिविधि के प्रकार, उद्योग की प्रकृति, बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर और ऋण की राशि, ऋण का प्रकार, उधारकर्ताओं का ब्यौरा/एमएसई इकाई के ब्यौरे आदि के आधार पर गारंटी देता है।

59. इस आधार पर गारंटियों के अनुमोदन/निर्गम में उधारकर्ता इकाई के प्रबंधन, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और उधारकर्ता/प्रवर्तकों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया। यहां तक कि सिस्टम/पोर्टल भी एमएलआई द्वारा भरे गए विवरण की सटीकता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

60. ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई योजना उधारकर्ताओं के ऋण आवेदनों/ परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करती है। मूल्यांकन की जिम्मेदारी एमएलआई की होती है।

61. अतः गारंटी की वर्तमान प्रणाली केवल एमएलआई द्वारा भरे गए उधारकर्ताओं के अनिवार्य ब्यौरे की पुष्टि करता है। इस प्रक्रिया में उधारकर्ता इकाई के प्रबंधन, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और उधारकर्ताओं/प्रवर्तकों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप खाते एनपीए हो गए हैं।

62. लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि जहां तक सीजीटीएमएसई पोर्टल में एमएलआई द्वारा डेटा भरने का संबंध है, तो एसीजीटीएमएसई के नियंत्रण की कमी है। एमएलआई ने गैर-अनिवार्य डेटा नहीं भरा और भरे गए डेटा की गुणवत्ता भी खराब थी। 99.84% मामलों में एमएसई के मुख्य प्रर्वतक का कोई कानूनी और इस

प्रकार का कोई आईडी नहीं था, मुख्य प्रर्वतक के जन्म का वर्ष 1794, 1657, 1690, 1653, 1904 आदि के रूप में उल्लेख किया गया था और टर्म क्रेडिट की मंजूरी का वर्ष 2020, 2023, 2022, 2097 और 2098 के रूप में उल्लेख किया गया था। । एमएसई के स्थान का पिन कोड 000000 के रूप में बताया गया था। सीजीटीएमएसई गारंटी देते समय पैन कार्ड पर जोर नहीं दे रहा है। लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए लगभग 1852 मामलों में कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। 6007 मामलों में, यह पाया गया कि परियोजना बिक्री कार्य या तो शून्य था या खाली या यह केवल रु. 1000/-था ।94% मामलों में मुख्य प्रर्वतक का मोबाइल नंबर या तो गायब था या सही नहीं पाया गया। उपर्युक्त मामले केवल उदाहरण हैं जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया है।

63. इन गंभीर विसंगतियों को मंत्रालय ने स्वीकार किया है और यह बताया गया है कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) कार्य किया जा रहा है और गारंटी देने से पहले सत्यापन के संबंध में कोई उत्तर नहीं था।

64. एमएलआई को कवर प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में सीजीटीएमएसई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। यह पाया गया है कि एमएलआई एक ही आवेदन पर एक से अधिक बार गारंटी कवर के लिए आवेदन कर रहे हैं। ट्रस्ट ने ऐसे मामलों के लिए 17.15 करोड़ रुपये (केवल सांकेतिक) की गारंटी जारी की है। प्रतिरूप गारंटी जारी करना ऑनलाइन गारंटी प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रतिरूप गारंटियों का मुद्दा ट्रस्ट के वित्तीय हितों का समाधान करता है और कार्य विवेक की कमी को दर्शाता है। ट्रस्ट और मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है।

65. मौखिक साक्ष्य के दौरान, एमएलआई द्वारा डाटा भरने और की गई उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर,मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

> " ... सही डेटा फीड करने की जिम्मेदारी एमएलआई की होती है क्योंकि केवल उनके पास ही शुद्धता को सत्यापित करने के लिए डेटा का प्राथमिक

स्रोत होता है। फिर भी, डेटा की सटिकता को बढ़ाने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के तार्किक सत्यापन शुरू किया गया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण डेटा क्षेत्रों के लिए मूल्यों की सूची से चयन करने से एमएलआई को ड्रॉप डाउन बॉक्स विकल्प दिया गया है। इन डेटा फ़ील्ड को अनिवार्य बना दिया गया है और ऐसे फ़ील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। ब्यौरे भरने के समय पॉप अप के प्रावधान भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, डेटा की सटिकता सुनिश्चित करने के लिए एमएलआई को सख्ती से निर्देश दिया जा रहा है।"

(तीन) <u>कार्य प्रचालन</u>

66. गारंटियों के अनुमोदन की अपर्याप्त प्रणाली ने ट्रस्ट के वित्तीय हितों और कार्य व्यवहार्यता को खतरे में डाल दिया था, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मुख्य कार्य गतिविधियों से होने वाली आय दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप दावों को स्थगित करना पड़ा और एनपीए का उच्च स्तर हो गया था। ट्रस्ट डिफ़ॉल्ट रूप से राशि के बड़े हिस्से की गारंटी देता है (गारंटी की गई ऋण राशि का 50 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) जो एनपीए को कम करने और उपरोक्त कारणों से दावों को कम करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

67. प्रबंधन ने बताया (मार्च 2019) कि सीजीटीएमएसई ने गारंटी के अनुमोदन के समय कुछ प्रमुख मापदंडों संबंधी 1 करोड़ रुपये से ऊपर के गारंटी आवेदनों की बुनियादी जांच की एक प्रणाली लागू की है। इसके अलावा, ट्रस्ट ने हाल ही में वित्तीय डेटा जैसे परिचालन आय, कर के बाद लाभ (पीएटी), ऋण-इक्विटी अनुपात, निवल मूल्य, वर्तमान अनुपात, मुख्य प्रर्वतकों के सिबिल स्कोर, कुल संपत्ति आदि के ऑनलाइन कैप्चर के लिए आवेदन पत्र में गारंटी राशि के टिकट आकार के आधार पर गारंटी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। एमएलआई की ओर से उचित परिश्रम में चूक के कारण ऋण की मंजूरी से पहले मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी विचलन के

मामले में, ट्रस्ट ऐसे खातों के संबंध में चूक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

68. मंत्रालय ने यह भी बताया है (सितंबर 2019) कि सीजीटीएमएसई ने 18 वर्षों में सफल संचालन के माध्यम से अपनी व्यवहार्यता साबित की है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, दिशा-निर्देशों को शुरू किया गया था (13 नवंबर 2018) और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। ब्यौरा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, ₹10 लाख तक के ऋण आकार के लिए लागू नहीं थे, हालांकि ट्रस्ट के पास इस टिकट आकार में लगभग 90 प्रतिशत का कार्य है। इसके अलावा, एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। साथ ही, ऑनलाइन मॉड्यूल ने इन विवरणों के आधार पर निर्णय लेने के लिए कोई मंच प्रदान नहीं किया। एमएलआई द्वारा मूल्यांकन में चूक के कारण दावों की अस्वीकृति के संबंध में, ट्रस्ट द्वारा किए गए निरीक्षण एमएलआई की ओर से दोषों का पता लगाने के लिए अल्प थे।

69. लेखा परीक्षा ने निष्कर्ष दिया है कि एमएलआई के निरीक्षण के दौरान ट्रस्ट द्वारा इगिंत की गई कमियों के मद्देनजर मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

(चार) <u>निवेश ग्रेडिंग,क्रेडिट रेटिंग और इसके प्रभाव</u>

70. सीजीएस-एक के खंड 9 के अनुसार 50 लाख रुपये से ऊपर और 200 लाख तक की ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी अनुमोदन की मंजूरी के सभी प्रस्ताव का एमएलआई द्वारा आंतरिक रूप से मूल्यांकन करना होगा और यह निवेश ग्रेड का होना चाहिए। यदि 50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई रेटिंग नहीं है तो एमएलआई को ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में एनए (उपलब्ध नहीं) का संकेत देना होगा। ट्रस्ट ने 'निवेश ग्रेड' शब्द को परिभाषित नहीं किया है। अतः एमएलआई स्वयं निवेश ग्रेड तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

71. लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि एमएलआई द्वारा कॉलम 'आंतरिक रेटिंग' को या तो खाली छोड़ दिया गया था या एनए/शून्य के रूप में बताया गया था। 4495 मामलों में गारंटी राशि ₹ 50 लाख से अधिक थी। केवल 567 मामलों में, रेटिंग में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना के तहत निर्धारित प्रतीक थे। लगभग 1.18 लाख मामलों में एमएलआई ने ए, बी, बी+, बी++ आदि जैसे प्रतीकों का संकेत दिया। चूंकि कोई रेटिंग संरचना नहीं थी, एमएलआई को आंतरिक रेटिंग कॉलम में कोई भी वर्ण, अंक/प्रतीक डालने की स्वतंत्रता थी। रेटिंग संरचना में कोई एकरूपता नहीं थी और ट्रस्ट ने एमएलआई द्वारा की गई रेटिंग की पर्याप्तता का मूल्यांकन या मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है क्योंकि वास्तविक दस्तावेज को सिस्टम में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी।

72. रेटिंग कॉलम को 25 मई, 2016 तक प्रचलित प्रणाली के अनुसार ऑनलाइन भरना था। इसके बाद 'रेटिंग कॉलम' में और 'निवेश ग्रेड' को चिह्नित करने के कॉलम में केवल 'हां' या 'नहीं' के संकेत की अनुमति देकर सिस्टम को कमजोर कर दिया गया।

73. मंत्रालय और प्रबंधन दोनों ने तर्क दिया है कि एमएलआई को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक था। मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया कि केवल सीजीटीएमएसई में रेटिंग रिपोर्ट की जांच करने से मूल्यवर्धन नहीं होगा। ट्रस्ट को एमएलआई से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि वे आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, ट्रस्ट को केवल उन प्रस्तावों के लिए गारंटी जारी करने की आवश्यकता थी, जिन्हें एमएलआई द्वारा उचित रूप से रेट किया गया है। इसके अलावा, आरबीआई ने अपनी 2015 के प्रतिवेदन में "सीजीटीएमएसई और भारत में क्रेडिट गारंटी सिस्टम के कामकाज संबंधी प्रतिवेदन" शीर्षक में निम्नानुसार कहा है:

"ऐसी योजनाओं में निहित पर्याप्त नैतिक खतरे और सीजीटीएमएसई से एक मजबूत निगरानी तंत्र के अभाव में, वर्तमान योजना एक हो गई है जो बैंकों द्वारा शिथिल क्रेडिट प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करती है और उधारकर्ताओं की ओर से क्रेडिट अनुशासन को कम करती है। इस समस्या में हमारी वित्तीय प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने की क्षमता है और इसे सीजीटीएमएसई द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाना चाहिए।"

74. 'निवेश ग्रेड' को परिभाषित करने का प्रयास न करने के कारणों और शब्द के लिए निर्दिष्ट अर्थों के ब्यौरे का स्पष्टीकरण करते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

" सभी एमएलआई अपने आंतरिक दिशानिर्देशों, उचित परिश्रम और प्रमोटरों/परियोजनाओं के निर्णय के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन/रेटिंग करते हैं। इसके अलावा, ऋण प्रस्तावों को निवेश ग्रेड या अन्यथा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सभी ऋणदाता संस्थानों के पास अपनी रेटिंग/स्कोर मॉडल हैं। निवेश ग्रेड एक बेंचमार्क है जिसके आधार पर कोई भी ऋण देने वाली संस्था ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए या अन्यथा कॉल करती है। बैंक केवल निवेश ग्रेड के बेंचमार्क को पूरा करने वाले प्रस्तावों पर ही ऋण स्वीकृत करते हैं। इस मानदंड से गुजरने के बाद स्वीकृत प्रस्तावों को गारंटी कवरेज के लिए दर्ज किया जाता है।

इसलिए यह देखा जा सकता है कि ट्रस्ट द्वारा पहले से ही उचित परिश्रम के लिए वचनबद्धता प्राप्त कर ली गई है और यह देखते हुए कि प्रत्येक एमएलआई उचित परिश्रम के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का पालन करता है, सीजीटीएमएसई के लिए सार्वभौमिक निवेश ग्रेड को परिभाषित करना संभव नहीं हो सकता है।."

75. सीजीटीएमएसई गारंटी लेख-पत्र के प्रभाव संबंधी, यह देखा गया है कि टर्नओवर, निर्यात और रोजगार पर दिए गए सभी आंकड़ों का अनुमान एमएलआई द्वारा गारंटी कवर की मांग के लिए ट्रस्ट को आवेदन करते समय प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर लगाया गया था और डेटा सही या वास्तविक नहीं थे। ट्रस्ट ने एमएसई द्वारा कार्य शुरू करने या डिफ़ॉल्ट के बाद एमएसई इकाई के बंद होने के बाद ब्यौरे के लिए कॉल नहीं किया या एमएलआई से अपने पोर्टल में ब्यौरे अपलोड नहीं किये।

76. प्रबंधन ने इस अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और (लेखापरीक्षा को) बताया कि नमूना आधार पर गारंटियों के वास्तविक प्रभाव को मापने के प्रयास किए जाएंगे। यह सत्यापन योग्य डेटा के साथ किया जाएगा न कि केवल अनुमानित अनुमानों के साथ।

77. मंत्रालय ने सूचित किया (सितंबर, 2019) कि सीजीटीएमएसई ने एक पेशेवर एजेंसी द्वारा अखिल भारतीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रक्रिया शुरू की है।

(पांच) <u>संपार्श्विक</u>

78. सेटलर्स द्वारा ट्रस्ट की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए ऋणों के खिलाफ गारंटी प्रदान करना था। योजना का खंड 4 यह भी निर्धारित करता है कि ट्रस्ट एमएलआई द्वारा एमएसई क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता को क्रेडिट सुविधाओं (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी) के लिए बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को कवर करेगा।

79. लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि एमएलआई को गारंटी कवर के लिए आवेदन करते समय ' ली गई संपार्श्विक सुरक्षा' और 'तृतीय पक्ष गारंटी' दर्शाने वाले कॉलम में 'हां' या 'नहीं' विकल्प चिह्नित करना था। ' ली गई संपार्श्विक सुरक्षा ' को

दर्शाने वाला कॉलम एक अनिवार्य फ़ील्ड था, जबकि ' ली गई थर्ड पार्टी गारंटी ' को दर्शाने वाले कॉलम को अनिवार्य के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था, भले ही योजना ने तीसरे पक्ष की गारंटी की स्वीकृति की अनुमति नहीं दी थी।

80. ट्रस्ट ने एक 'हाइब्रिड सिक्योरिटी' उत्पाद की (28 फरवरी, 2018) शुरूआत की, जिसमें एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, जबकि क्रेडिट सुविधा के शेष हिस्से को अधिकतम 200 लाख रु. की योजना के तहत कवर किया जा सकता है। तदनुसार, ऑनलाइन पोर्टल में 'हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल के तहत आवेदन' नाम से एक नया फिल्ड डाला गया था। हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल के तहत गारंटी कवर प्राप्त करने वाले एमएलआई को इस कॉलम में 'हां' या 'नहीं' पर क्लिक करना होगा। लाइव गारंटी के डेटा की समीक्षा (28 फरवरी 2018 से पहले शुरू हुई गारंटी) से पता चला कि एमएलआई ने 314 मामलों (42.50 करोड़ रुपये), 391 मामलों में तीसरे पक्ष की गारंटी (45.59 करोड़ रुपये) और 28 मामलों में संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी (3.68 करोड़ रुपये)दोनों में उधारकर्ताओं से संपार्श्विक सुरक्षा ली। । ट्रस्ट ने उपरोक्त मामलों में से एचडीएफसी बैंक को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मंजूरी पत्रों में 'शून्य' संपार्श्विक सुरक्षा का उल्लेख किया गया था लेकिन तीसरे पक्ष की गारंटी का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, ट्रस्ट ने उन आवेदनों को प्रथम दृष्टया अस्वीकार करने के लिए सिस्टम में पर्याप्त जांच लागू नहीं की जहां एमएलआई ने उधारकर्ताओं से संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी की स्वीकृति का संकेत दिया था। इसके अलावा, गारंटी आवेदनों के अनुमोदक ने भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की थी। यह संकेत है कि एमएलआई ने संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी स्वीकार करके खुद को दोगुना सुरक्षित कर लिया था क्योंकि सीजीटीएमएसई को इन एमएलआई को गारंटी कवर जारी करने की आवश्यकता नहीं थी जहां उन्होंने एमएसई से संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी स्वीकार की थी। मंत्रालय ने इस संबंध में की गई लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया। हालांकि, प्रबंधन ने कहा (मार्च 2019) कि एमएलआई के लिए 'हां' या 'नहीं' विकल्प के साथ 'संपार्श्विक सुरक्षा' और 'तृतीय पक्ष गारंटी' की स्थिति भरना अनिवार्य था। यदि एमएलआई संपार्श्विक

सुरक्षा या ली गई तृतीय पक्ष गारंटी के लिए 'हां' पर क्लिक करता है तो सिस्टम आवेदन को अस्वीकार कर देता है। 'हाइब्रिड सुरक्षा' उत्पाद की शुरुआत के बाद क्षेत्रों को वैकल्पिक बना दिया गया था।

81. हाइब्रिड सिक्योरिटी" मॉडल के आधार स्पष्ट करने के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "सीजीटीएमएसई अपने सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के स्वीकृत ऋण सुविधाओं की गारंटी देता है। "हाइब्रिड सिक्योरिटी" मॉडल क्रेडिट सुविधा के उस हिस्से के लिए गारंटी कवर की अनुमति देता है जो संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा कवर नहीं किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि जब एक उधारकर्ता, ऋण की आवश्यकता से कम मूल्य के साथ संपार्श्विक सुरक्षा सहित ऋण के लिए बैंक से संपर्क करता है, तो उसे ऋण सुविधा से वंचित कर दिया गया था। हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल की शुरुआत के साथ, ऐसे उधारकर्ता भी उच्च मूल्य के ऋण प्राप्त करने और क्रेडिट गारंटी के तहत ऋण के हिस्से को कवर करने के पात्र होंगे। तदनुसार, यह मॉडल ऐसे मामलों में ऋण के प्रवाह की सुविधा के लिए जहां ऋणदाता की संतुष्टि की सीमा तक या तो संपार्श्विक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त मूल्य में उपलब्ध नहीं है सीजीटीएमएसई के कथित उद्देश्य को पूरा करता है ।"

82. यह पूछे जाने पर कि क्या बैंक संपार्श्विक पर जोर देते हैं, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया: -

"बैंक अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर ऋण प्रदान करने का निर्णय लेते हैं और सीजीटीएमएसई प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। बैंक आरबीआई के व्यापक दिशानिर्देशों में शामिल आरबीआई द्वारा जारी आंतरिक क्रेडिट दिशानिर्देशों के आधार पर ऋणों को मंजूरी देते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं। आरबीआई बैंकों/ऋण देने वाली संस्थाओं को विनियमित करता है। इसलिए, आरबीआई/भारत सरकार सीजीटीएमएसई को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए निर्देश जारी कर सकते है।

आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख रुपये से कम के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा पर जोर नहीं दिया जा सकता। लेकिन ट्रस्ट को ऐसे ऋणों पर गारंटी की आवश्यकता नहीं है।"

पांच. एनपीएएस, दावे और वसूली

(एक) एमएलआई का निरीक्षण और वसूली

83. सीजीएस-1 से संबंधित शर्तों के अनुसार, ट्रस्ट को वसूली की स्वीकृति, निगरानी, और प्रेषण से संबंधित जिम्मेदारी और जवाबदेही एमएलआई के पास है। योजना का खंड **15(ii)** ट्रस्ट को निरीक्षण करने या ऋण देने वाली संस्थाओं के बहीखातों और अन्य अभिलेखों की प्रतियां मांगने का अधिकार प्रदान करता है। प्रावधान के अनुसार ऋण देने वाली संस्था का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उधारकर्ता जो ऐसा करने की स्थिति में है, ट्रस्ट या सिडबी के अधिकारियों या निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।

84. ट्रस्ट ने निरीक्षण की कोई योजना नहीं बनाई क्योंकि एमएलआई के चयन, एमएलआई के सम्बन्ध में लक्ष्यों, उपलब्धियों तथा कवर किए जाने वाले लेखाओं तथा क्षेत्रों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं थे । 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान ट्रस्ट ने नमूना आधार पर निरीक्षण किया जहां दावे 10 लाख रुपए से अधिक पर निपटाए गये थे । निरीक्षण जारी की गई गारंटी, रिपोर्ट किए गए एनपीए एमएलआई द्वारा दर्ज किए गए दावे और निरीक्षण प्रतिवेदनों में नोटिस की गई गलतियों के समनुरूप नहीं थे ।

85. जहां एमएलआई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था ऐसे लेखाओं के संबंध में निरीक्षण नहीं किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई:-

(i) एमएलआई को स्टाक स्टेटमेंट का ऋणी द्वारा समय पर प्रस्तुत न करना (ii) एमएलआई की आन्तरिक रिपोर्ट जिसमें ऋणी जानबूझकर चूककर्ता के रूप में

दर्शाया गया किन्तु आरबीआई द्वारा किया गया, (iii) कर्मचारी जवाबदेही रिपोर्ट की अनुपलब्धता, (iv) एमएलआई द्वारा किया गया एक बार निपटान लेकिन वसूलियाँ ट्रस्ट को प्रेषित न करना (v) निधियों की अन्तिम उपयोग रिपोर्ट की अनुपलब्धता (vi) दावा प्रस्तुत करने के बाद एमएलआई द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई (vii) दावा प्रपत्र में एमएलआई द्वारा उल्लेख न की गयी पश्य एनपीए तिथि की वसूलियां (viii) ट्रस्ट द्वारा दावे के भुगतान के बाद ट्रस्ट को वसूलियों को प्रेषित न करना (ix) मानदंडों के अनुसार एमएलआई द्वारा न किए गए निरीक्षण (x) वास्तविक अभिलेख के साथ सीजीटीएमएसई पोर्टल में दर्ज एनपीए तिथि का बेमेल होना (xi) स्टॉफ जवाबदेही रिपोर्ट के अनुसार एमएलआई स्टॉफ की ओर से गंभीर चूकें (xii) निधियों के अन्तिम उपयोग का संतोषप्रद नहीं पाया जाना (xiii) एमएलआई द्वारा स्वीकृति से पहले यथोचित सावधानी का न बरता जाना (xiv) परियोजना वित्त तथा अनुमान तथा बिक्रीकर रिटर्न को ऋणी से नहीं लेना (xv) स्वीकृति के समय ऋणी द्वारा केवाईसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करना (xvi) स्वीकृति पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले ऋण की मंजूरी (xvii) ऋणी द्वारा प्रस्तुत किया गया जाली तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण आदि ।

86. योजना के खंड 10(पाँच) के अनुसार ऋणदात्री संस्था प्रचलित बैंक दर से ऊपर चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्तिक ब्याज के साथ-साथ ट्रस्ट द्वारा जारी दावों के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी होगा यदि क्रेडिट सुविधा के मूल्यांकन/ नवीकरण/ अनुवर्तन देने के मामले में गंभीर कमियां होने की स्थिति में ट्रस्ट द्वारा पुनः मांग की गयी है अथवा जहां दावों के निपटान के लिए ऋणदात्री संस्थाओं की ओर से किसी भौतिक जानकारी को छुपाया गया हो । यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ट्रस्ट द्वारा जांच किए गए 1,749 लेखाओं में से 507 में 71.41 करोड़ रुपये की वसूलियों को बताया । एमएलआई ने 4 दिनों तथा 722 दिनों के बीच की देरी के बाद राशि को जमा किया । तथापि ट्रस्ट ने राशि को प्रेषित करने में हुई देरी पर ब्याज प्रभारित नहीं किया ।

87. वर्ष 2015 में आरबीआई ने इस संबंध में कई सुझाव दिये जिसमें अन्य के साथ-साथ ये शामिल थे (एक) संपार्श्विक समर्थित ऋणों के मामले के समान संपार्श्विक मुक्त ऋणों में सख्त क्रेडिट अनुशासन और पश्य संवितरण अनुवर्तन को शुरू करने के लिए एमएलआई को समर्थ करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तथा शास्ति के फ्रेमवर्क को रखना तथा (दो) ऋण राशि के बावजूद सभी संपर्श्विक मुक्त ऋण की अनिवाय्र आंतरिक रेटिंग (तीन) एक मजबूत डेटा विश्लेषण टीम तथा एमएलआई पर एक मजबूत निरीक्षण तंत्र का रखना (चार) आईटी बुनियादी ढांचे का सुधार करना आदि ।

तथापि, ट्रस्ट ने आरबीआई द्वारा बताए गए सुझावों तथा सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया था। प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा को बताया कि नीति के अंश के रूप में निरीक्षण जांच की प्रभाविता में सुधार हेतु प्रणालीगत पहुंच को स्थापित किया गया है।

(दो) <u>दावे के निपटान के बाद एमएलआई से वसूली</u>

88. योजना के खंड 13 के अनुसार, ऋण देने वाली संस्थाओं को एमएलआई द्वारा की गई वसूली की कानूनी लागत को समायोजित करने के बाद दावों के निपटान के बाद वसूल की गई धनराशि ट्रस्ट के पास जमा करनी होती है। योजना के अनुसार, सबसे पहले ट्रस्ट को बकाया वार्षिक सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और ट्रस्ट को अन्य शुल्क और शेष, यदि कोई हो, की वसूली को इस तरह से विनियोजित करना अपेक्षित है ताकि दी गई ऋण सुविधा की वसूली में कमी के कारण हुई हानि ट्रस्ट और उधार देने वाली संस्थाओं के बीच साझा जोखिम के अनुपात में हो।

89. यह देखा गया है कि एमएलआई दावों के निपटान के बाद उनके द्वारा की गई वसूली को नहीं भेज रहे थे। हालांकि ट्रस्ट ने मार्च 2014 में वैधानिक लेखा

परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि एमएलआई द्वारा सीजीटीएमएसई द्वारा दावों के निपटान के बाद सीजीएस के तहत कवर की गई गारंटी के संबंध में की गई वसूली सीजीएस के प्रावधानों के अनुसार, सीजीटीएमएसई को विधिवत रूप से पारित कर दी गई है, यह पाया गया कि केवल कुछ (लगभग 10) एमएलआई ने ही ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और कुछ मामलों में अस्पष्ट भाषा में। न्यास ने अपनी ओर से सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया और अपने स्वयं के निर्देश के विपरीत, दावे दर्ज करने से पहले एमएलआई से ऑनलाइन डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसने एमएलआई को राजकोष के पैसे को अपने पास रखने का अवसर दिया क्योंकि प्रमाणपत्रों ने वैधानिक लेखापरीक्षकों पर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक कानूनी बंधन बनाया, जबकि वचन पत्र या घोषणा एमएलआई को वसूली न करने के लिए एक या दूसरा तर्क देने की अनुमति देती है। निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसे मामले पाए गए।

90. प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया और प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकांश एमएलआई को सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि लेखापरीक्षकों के लिए शाखा स्तर पर लेनदेन का सत्यापन करना संभव नहीं था । इसलिए, ट्रस्ट ने एमएलआई से ऑनलाइन घोषणाओं और वयन पत्र को स्वीकार करना शुरू कर दिया।

91. यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय ने ऋण देने वाले संस्थाओं के स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार प्रस्ताव दिया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"सीजीटीएमएसई जारी गारंटियों, एनपीए के स्तर और दावों आदि जैसे मानकों के आधार पर एमएलआई का निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण एक नियमित अभ्यास है जिसे उपरोक्त मानदंडों के आधार पर सभी एमएलआई के लिए पूरे वर्ष आयोजित किया जाता है। ट्रस्ट निरीक्षण नीति बनाकर निरीक्षण के मानकीकरण की प्रक्रिया में भी है।"

(तीन) <u>एनपीए का मुद्दा</u>

92. आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, एमएलआई अपने सिस्टम में एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के एक महीने के भीतर सीजीटीएमएसई के पोर्टल में खाते को एनपीए के रूप में चिह्नित करना चाहिए। इससे सीजीटीएमएसई को अपने सिस्टम में एनपीए की सही स्थिति और इस खाते पर संभावित दावों का आकलन करने में सक्षम होगा।

93. हालांकि, ट्रस्ट ने एमएलआई को एक विशेष कैलेंडर तिमाही में इसके बाद की तिमाही के अंत तक एनपीए को चिह्नित करने की अनुमति दी है जो आरबीआई के निर्देश के विपरीत है। एमएलआई ने ट्रस्ट द्वारा निर्धारित समय के दौरान भी एनपीए को चिह्नित नहीं किया और ट्रस्ट द्वारा विलंब को माफ कर दिया गया है। यह देखा गया है कि ट्रस्ट ने स्वीकार किया कि एमएलआई से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होने पर एनपीए को चिह्नित करने में देरी को माफ कर दिया गया था।

94. यह पाया गया है कि एमएलआई ने सीजीटीएमएसई पोर्टल में इन मामलों को एनपीए के रूप में चिह्नित करने में 3352 दिनों तक का समय लिया। कुछ मामलों में यह पाया गया कि एनपीए की तारीख गारंटी की तारीख है या उससे भी पहले की है। कुछ खाते गारंटी तिथि के ठीक बाद एनपीए बन गए जो ट्रस्ट के भीतर मूल्यांकन या आंतरिक नियंत्रण और जांच की कमी को दर्शाता है। ट्रस्टी प्रबंधन उन मामलों को जांच करने के लिए सहमत हुआ जहां गारंटी जारी होने के 90 दिनों के भीतर खाते एनपीए हो गए और पहला दावा जारी कर दिया गया था।

95. दी गई जानकारी के अनुसार, एमएलआई द्वारा उल्लिखित खातों के एनपीए बनने के कारण हैं, डाउनट्रेंड के कारण आय का कम सृजन, और कुप्रबंधन व्यवसाय की विफलता / बंद होना, निधियों का अन्यत्र उपयोग, व्यवसाय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असफल, अक्षम प्रबंधन, आदि। ये कारण एमएलआई द्वारा परियोजनाओं के अपर्याप्त मूल्यांकन के साथ-साथ अनुमोदन/ गारंटियों के जारी करने से पहले आवेदनों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने में ट्रस्ट की विफलता को दर्शाते हैं। एमएलआई की निरीक्षण रिपोर्ट में प्रमुख विसंगतियों को उजागर किया गया जैसे उधारकर्ता की क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) रिपोर्ट का सत्यापन न होना, सिबिल रिपोर्ट अतिदेय दिखा रही है लेकिन एमएलआई द्वारा इसे ध्यान में नहीं रखा गया, अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन नोट हस्ताक्षरित नहीं किया गया, एमएलआई के पास पूर्व-मंजूरी रिपोर्ट की अनुपलब्धता, मंजूरी से पूर्व उचित तत्परता नहीं दिखाई गई, उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट की अनुपलब्धता आदि। इसके अलावा, ट्रस्ट ने एमएलआई (2016-18) के निरीक्षण के दौरान धोखाधड़ी वाले ऋणों **(12 मामले)** का पता लगाया।

96. ये कमियां ऋण की मंजूरी और वितरण से पहले ऋण आवेदनों के मूल्यांकन में एमएलआई की जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी को दर्शाती हैं।

(चार) <u>आवेदन जमा करने में विलंब</u>

97. सीजीएस-I के खंड 4 के अनुसार, एमएलआई को उस तिमाही से अगली तिमाही में गारंटी कवर के लिए आवेदन जमा करना आवश्यक है जिसमें क्रेडिट प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। यदि प्रस्ताव अप्रैल-जून तिमाही में स्वीकृत किया गया हो तो आवेदन जुलाई-सितंबर तिमाही के भीतर प्रस्तुत किया जाए। इस संदर्भ में, यह देखा गया है कि 3809 दिनों (लगभग 10.5 वर्ष) के बाद आवेदन जमा करने के बावजूद गारंटी दी गई है। लगभग 39,456 मामले जिनमें लगभग 1260.92 करोड़ रुपये के आवेदन शामिल थे इन को 181 से 3809 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया। ऑनलाइन प्रणाली में आवेदन की तिथि के संबंध में एमएलआई द्वारा फीड

किए गए डेटा की पुष्टि करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। आवेदन के अनुमोदक ने गारंटी जारी करते समय स्वीकृति की तिथि को ध्यान में नहीं रखा।.

98. गारंटी के लिए आवेदन जमा करने में तीन माह तक के विलंब को माफ करने का निर्णय उप महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को सौंपा गया है। जुलाई, 2018 में एमएलआई के अनुरोध पर, ट्रस्ट ने मानक लेखाओं के संबंध में तीन महीने की और समयावधि प्रदान की, इस प्रकार सभी एमएलआई को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति देना स्पष्ट रूप से योजना प्रावधानों के उल्लंघन में है और वह भी बोर्ड के अनुमोदन के बिना।

99. हालांकि मंत्रालय ने इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, प्रबंधन ने बताया कि अधिकांश एमएलआई ने प्रत्यावेदन दिया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों यथा प्राकृतिक आपदाएं, एमएलआई का समामेलन, तकनीकी त्रुटियां आदि के कारण आवेदन दर्ज नहीं किया जा सका और सीजीटीएमएसई ने एमएलआई के अनुरोध पर विलंब को नियंत्रित किया।

(पांच) <u>गैर-सूक्ष्म/लघु श्रेणी इकाइयों को गारंटी</u>

100. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 एमएसई को संयंत्र और मशीनरी में निवेश और उपकरणों में निवेश के आधार पर विनिर्माण और सेवा उद्यमों के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में क्रमशः 10 लाख के लिए सीमा 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की सीमा है। इसी तरह लघु विनर्माण क्षेत्र उद्यमों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र में यह सीमा 10 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण,

अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों और ऐसी अन्य मदों पर खर्च शामिल नहीं है।

101. हालांकि, इकाई को एक सूक्ष्म इकाई के रूप में चिह्नित किया गया है, एमएलआई से सावधि ऋण के साथ-साथ ट्रस्ट से गारंटी 25 लाख रुपये से अधिक से लेकर 2 करोड़ रुपये तक थी। परिभाषा के अनुसार, इन इकाइयों को सूक्ष्म उद्यम नहीं माना जा सकता। तथापि, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 15 मामलों में, जहां उपकरणों पर निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक था और यूनिट को एमएसई के रूप में नहीं माना गया, ट्रस्ट ने गारंटी जारी की थी।

102. ट्रस्ट ने, 3055 मामलों में, कुछ इकाइयों को सूक्ष्म उद्यम भी माना था और मानक दर से 0.15 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत से कम गारंटी शुल्क प्राप्त किया था।.

103. योजना का खंड 15 (ii) ट्रस्ट को बहीखातों की प्रतियों और ऋण देने वाली संस्था के (अग्रिमों के संचालन के संबंध में सामान्य निर्देशों को कवर करने वाले निर्देशों या मैनुअल या परिपत्रों की किसी भी पुस्तक सहित) अन्य अभिलेखों और ऋण देने वाली संस्था से किसी भी उधारकर्ता का निरीक्षण करने या उसे मंगाने का अधिकार देता है । ऋण देने वाली संस्था के किसी भी अधिकारी या कर्जदार को ट्रस्ट या सिडबी के अधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड रखने होंगे। सीजीटीएमएसई ने 2015-2016 और 2017-2018 के दौरान 1749 खातों का निरीक्षण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट ने निरीक्षण की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि एमएलआई के चयन, एमएलआई के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियों और कवर किए जाने वाले खातों और ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। उन खातों के संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किया गया जहां संबंधित एमएलआई द्वारा दावा दर्ज नहीं किया गया है।

(छह) <u>व्यक्तिगत गारंटी पर ऋण देना</u>

104. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुसार ट्रस्ट ने प्राथमिक सुरक्षा के सृजन के बिना ऋणकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटी जारी की जो अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों {योजना के खंड 7 (iii)} के विरुद्ध थी। वर्ष 2013 में बोर्ड ने निर्णय लिया था कि जो ऋण सुविधाएँ संपत्ति के सृजन को परिकल्पित नहीं करती है, वे योजना के तहत गारंटी के लिए पात्र नहीं होंगी। ट्रस्ट ने ऑनलाइन सिस्टम में चेक को लागू नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एमएलआई द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा ने ऋण कर्ता को दी गई क्रेडिट सुविधा में से प्राथमिक सुरक्षा बनाई है। ऑनलाइन सिस्टम में संगत कॉलम अर्थात एमएलआई द्वारा शत-प्रतिशत मामलों में 'एपीपी आईएस प्राइमरी सिक्योरिटी' को खाली छोड़ दिया गया था।

105. एक मामले में, यह पाया गया कि एक बैंक ने प्राथमिक सुरक्षा के रूप में एक एमएसई के संरक्षक की व्यक्तिगत गारंटी स्वीकार कर ली थी, जबकि एमएसई ने अपने मुख्य बैंकर को सभी स्टॉक और बुक डैब्ट को पहले ही दृष्टिबंधक रख लिया था और इसके अलावा, संरक्षक कोई प्राथमिक सुरक्षा सृजित नहीं कर रहा था और एक नया कार्यालय खोलने के लिए मुख्य व्यय जैसे वेतन, किराया आदि का भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि ट्रस्ट ने दिनांक 28 जनवरी, 2009 को ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत सुरक्षा की स्वीकृति पर ट्रस्ट द्वारा चर्चा और पुष्टि के आधार पर प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में व्यक्तिगत गारंटी की स्वीकृति के संबंध में प्राइवेट बैंक से 8 मार्च, 2017 को एक पत्र प्राप्त हुआ था । ट्रस्ट ने 28 जनवरी, 2009 के एक ईमेल संप्रेषण के आधार पर ग्राहक को असुविधा न हो, इसलिए अप्रैल,2017 में गारंटी बढ़ा दी थी। यह बोर्ड ऑफ ट्रस्ट (बीओटी) के अनुमोदन के बिना किया गया था। गारंटी

जारी करने के बाद, ट्रस्ट ने बैंक को सुझाव दिया की वह अपने बिजनेस मॉड्यूल में परिवर्तन करे। बैंक द्वारा प्राप्त किया गया संपूर्ण गारंटी कवर संरक्षक की व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित था।

106. मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ट्रस्ट के प्रबंधन ने उल्लेख किया कि ये क्रेडिट सुविधाएं एमएसई के नियमित बैंकरों से मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं की पूरक हैं और एमएसई के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसने आगे उल्लेख किया कि प्राथमिक सुरक्षा की अनुपलब्धता के कारण एमएसई को गारंटी कवर से वंचित करने से इकाई की व्यवहार्यता प्रभावित होगी और एमएसई को ऋण का प्रवाह भी धीमा हो जाएगा।

(सात) **अनियमित ऋण**

107. जब सभी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अनियमित रूप से दिए गए ऋण अग्रिम के सभी मामलों का ब्यौरा उपलब्ध करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> " यदि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण देने वाली संस्था द्वारा किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित किया जाता है, तो इस संबंध में गारंटी को सीजीटीएमएसई द्वारा दावा निपटान के लिए अर्हक नहीं माना जाता है। इसलिए, ऐसे दावा आवेदनों को सीजीटीएमएसई द्वारा खारिज कर दिया जाता हैं। आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएलआई के नियामक को ऋण देने वाली संस्थाओं के फ्रॉड घोषित मामलों की रिपोर्ट आरबीआई को करनी होती है । हालांकि, सीजीटीएमएसई के पास सभी ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए धोखाधड़ी ऋण के मामलों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेख करना उचित है कि एमएलआई को आरबीआई द्वारा विनियमित किया

जाता है जो एमएलआई के समग्र कार्यकलापों का निरीक्षण करता है और ये कार्यकलाप उनके सीजीटीएमएसई संविभाग तक ही सीमित नहीं हैं। इसके अलावा, वे अपने सांविधिक/दिशानिर्देशों द्वारा विहित लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य तंत्र के अधीन है।"

108. यह पूछे जाने पर कि यदि बड़ी विसंगतियां पाई जाती हैं तो क्या सीजीटीएमएसई किसी भी स्तर पर अपनी गारंटी वापस ले सकता है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"जी हां। यदि किसी खाते को ऋण देने वाली संस्था द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया जाता है, तो वह सीजीटीएमएसई द्वारा दावा निपटान के लिए अर्हक नहीं होता है। सीजीटीएमएसई को गारंटी जारी करने के बाद बड़ी विसंगतियां पाए जाने पर गारंटी वापस लेने/दावा अस्वीकार करने का अधिकार है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा विनियमित ऋण देने वाली संस्थाओं को किसी खाते को फ्रॉड के रूप में घोषित करने के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होता है। इसलिए, ऋण देने वाली संस्था को इस संबंध में जारी किए गए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी होती है।"

109. यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसे मामलों में जहां अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं फिर भी ऋण देने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं के प्रबंधन के साथ-साथ सीजीटीएमएसई के प्रबंधन के वीरुध कार्रवाई की गई है, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"उपर्युक्त परिदृश्य में कार्रवाई करना सदस्य ऋण संस्थाओं का विशेषाधिकार है जो अपने संबंधित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी कार्रवाई करते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि एमएलआई को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है जो एमएलआई के सम्पूर्ण कार्यकलापों का निरीक्षण करता है और यह उनके सीजीटीएमएसई पोर्टफोलियो तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा, वे अपने सांविधिक/दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा

और अपने अन्य तंत्र के अधीन होते हैं। हालांकि, सीजीटीएमएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएलआई द्वारा धोखाधड़ी के रूप में घोषित मामलों को निरस्त कर दिया जाता है और दावों का निपटान नहीं किया जाता है। उन मामलों में जहां दावा निपटान के बाद इस तरह की घोषणा दी जा रही है इनकी दावा राशि को वापस ले लिया जाता है।"

110. इसके अलावा, धन उधार देने वाले संस्थानों के पक्ष पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विनियामक शक्तियों की व्याख्या करते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"चूंकि वे बोर्ड प्रबंधित संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधित बोर्डों की जिम्मेदारी है। सीजीटीएमएसई एनपीए के स्तर पर जारी गारंटी और दावों आदि के आधार पर एमएलआई का निरीक्षण करता है। उपरोक्त मानदंडों के आधार पर सभी एमएलआई का पूरे वर्ष नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

111. सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) का नियमित निरीक्षण करने पर जोर देने के बारे में पुछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"जी हां। सीजीटीएमएसई एनपीए के स्तर पर जारी गारंटी और दावों की गारंटी जारी आदि जैसे मानकों के आधार पर एमएलआई का निरीक्षण कर रहा है। उपरोक्त मानदंडों के आधार पर सभी एमएलआई का पूरे वर्ष नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीजीटीएमएसई ने लगभग **2000** मामलों का निरीक्षण किया और लगभग **19** करोड़ रुपए की राशि वसूल की। निरीक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है।"

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

प्रस्तावना:

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आर्थिक विकास, नवोन्मेष और रोजगार के सबसे मजबूत चालकों में से एक है।एमएसएमई क्षेत्र को गति देने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने जुलाई 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई/ट्रस्ट) की स्थापना की। ट्रस्ट का अधिदेश नए या मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी सहायता) के संबंध में गारंटी प्रदान करना है, और ऋण देने वाली संस्थाओं पर गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क/अन्य प्रभार लगाना है। सीजीटीएमएसई दो योजनाओं को लागू करता है अर्थात (क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएस-एक , बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए); और (ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (सीजीएस-द्वितीय) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना।भारत के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 2015-16 से 2018-19 (30 सितंबर 2018) की अवधि की गारंटी योजनाओं (मुख्य रूप से सीजीएस - एक) के कार्यनिष्पादन का लेखापरीक्षा किया। लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया कि ट्रस्ट के लिए न्यूनतम चलनिधि आवश्यकता के संबंध में मानदंड/बेंचमार्क निर्धारित नहीं किए गए थे; दोनों संगठनों द्वारा समान प्रकार की व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के रूप में ऋण दिया गया; टर्नओवर, निर्यात और रोजगार सृजन पर

प्रामाणिक डेटा ट्रस्ट के पास उपलब्ध नहीं था; समग्र निधि(कॉर्पस फंड) पर बेंचमार्क लीवरेज तय नहीं किया गया था; एमएलआई द्वारा भरे गए विवरण की सटीकता को सत्यापित करने के लिए सिस्टम/पोर्टल को तैयार नहीं किया गया था; निरीक्षणों की योजना नहीं बनाई गई थी क्योंकि एमएलआई के चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था; और एनपीए की पहचान के लिए ऋण (ऋणों) को जारी करने के बाद अगली तिमाही के अंत तक की समय अवधि की अनुमति देने की ट्रस्ट की नीति आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। समिति द्वारा विषय की जांच और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मुद्दों पर उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों और संबंधित मामलों का विवरण आगामी पैराओं में दिया गया है।

<u>संगठनात्मक संरचना:</u>

2. एमएसएमई क्षेत्र में देश भर में विकास और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ नीतिगत उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र को उचित महत्व दे रही है। सीजीटीएमएसई की स्थापना 21 साल पहले एमएसएमई क्षेत्र को बिना संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी के धन प्राप्त करने की सुविधा के लिए की गई थी।समिति इस बात से व्यथित है कि क्षेत्र में कोई व्यावसायिकता विकसित नहीं हुई है और संस्था को 21वर्षों की लंबी अवधि के बाद भी मजबूत नहीं किया गया है और एमएसएमई क्षेत्र को आसान ऋण प्रदान करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं में बहुत पैसा लगाया जा रहा है। सीजीटीएमएसई अपनी अखिल भारतीय गतिविधियों की देखभाल के लिए केवल एक कार्यालय और 45 अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्मचारी संख्या बल के साथ काम करना जारी रखे हुए है। वरिष्ठ स्तर पर अधिकांश अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।सीजीटीएमएसई के सभी उच्च

प्रबंधन कर्मियों (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक) को सिडबी से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाकी अनुबंध के आधार पर कार्यरत होते हैं। इस संबंध में समिति ने एमएसएमई पर यूके सिन्हा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि यह आवश्यक होगा कि सीजीटीएमएसई के शीर्ष प्रबंधन को पेशेवर [प्रोफेशनलाईज़ड] बनाया जाए और इसे बड़ी निकाय से सोर्स किया जाए और सिडबी खुद को दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और सीजीटीएमएसई के बोर्ड से अलग कर ले। लेखापरीक्षा में इंगित किया गया है कि ऐसे कारकों ने एमएलआई के लिए सीजीटीएमएसई की पहुंच को कठिन बना दिया है और योजना के प्रबंधन में अक्षमता का जोखिम उत्पन्न किया है। 31 मार्च, 2020 तक, सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर सीईओ सहित चार उच्च पदस्थ अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।यह ध्यान देने योग्य है कि जहां एक ओर यूके सिन्हा समिति ने ट्रस्ट के प्रशासन से सिडबी को हटाने की सिफारिश की थी, इसके विपरीत, मंत्रालय ने सिडबी से अधिकारियों को आकर्षित करने की प्रणाली को इस तर्क पर जारी रखने का समर्थन किया है कि सिडबी एसोसिएशन ने अधिकारियों में क्रेडिट/उधार और गारंटी संचालन की समझ होने से संगठन की कथित तौर पर मदद की है। समिति का दृढ़ मत है कि सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और वित्तीय आवंटन बढ़ाने के लिए गंभीर उपाय कर रही है, लेकिन यह न केवल उचित होगा, बल्कि सीजीटीएमएसई को पर्याप्त रूप से मजबूत करने की आवश्यकता भी होगी ताकि सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और योजना के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। मुख्य रूप से सिडबी के आहरण अधिकारियों द्वारा ऋण/उधार और गारंटी संचालन करना संभवतः उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि सिडबी के बाहर भी क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता मौजूद है और इस तरह की विशेषज्ञता का दोहन दक्षता में सुधार करने में योगदान देगा और समग्र रूप से

क्रेडिट सिस्टम की पारदर्शिता में योगदान देगा।समिति की राय है कि इस उद्देश्य के लिए न्यास के संगठनात्मक ढांचे को नया रूप देने की जरूरत है। न्यास के मानव संसाधन प्रबंधन को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निहित स्वार्थों के बढ़ने की कोई गुंजाइश न हो; और गंभीर चूक के मामले में जवाबदेही तय करने का प्रावधान हो। इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से समिति को इस प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर अवगत कराया जाए ।

3. समिति की राय है कि सीजीटीएमएसई, भारत में केवल एक कार्यालय के साथ, स्पष्ट रूप से 6.3 करोड़ एसएमई तक पहुंचने और सूचीबद्ध एमएलआई को अपने ऋण देने वाले भागीदारों के रूप में विस्तारित करने की स्थिति में नहीं है ताकि योजना के तहत कवरेज को अधिकतम किया जा सके। भौगोलिक दृष्टि से जापान और कोरिया जैसे छोटे देशों के पास इस क्षेत्र के लिए मजबूत संस्थान हैं जिनके पास विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए पर्याप्त कोष और कर्मचारी हैं। अनिवार्य कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की दृष्टि से, समिति अनुशंसा करती है कि सीजीटीएमएसई के कार्यालयों की संख्या उचित रूप से बढ़ाई जाए।

4. समिति न्यास को एक पेशेवर निकाय के रूप में विकसित होने और विकसित करने में सक्षम नहीं होने के कारणों को समझने में भी विफल है जैसा कि वित्तीय क्षेत्र में संस्थानों के मामले में होता है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि ऐसे समय में जब सरकार व्यापक क्षेत्र में न्यास की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और उचित निगरानी और पारदर्शिता को सक्षम करने, मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए 'गारंटी कार्यक्रम' में एक महत्वपूर्ण राशि डाल रही है, संगठन के मानव संसाधनों को मजबूत करना परम आवश्यक है। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि सीजीटीएमएसई समर्पित कर्मियों को नियुक्त करे और संगठन में प्रतिनियुक्ति

या निश्चित अवधि के आधार पर कर्मियों को आकर्षित करने में तदर्थवाद की नीति को दूर करे।

<u>परिचालन ढांचा</u>

5. इस विषय की समिति की जांच से पता चलता है कि न्यास , तंत्र में प्रकाश में आने वाली अधिकांश कमियों के लिए एमएलआई को जिम्मेदार ठहराता है।जबकि एमएलआई आरबीआई के विनियमन के अंतर्गत काम करते हैं और उनके अपने बोर्ड और अन्य निगरानी इकाइयां हैं, इसलिए गारंटी योजना में अपने आप में दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से निगरानी, विनियमन और धोखाधड़ी को रोकने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।ऐसा लगता है कि यह सुनिश्चित करके कि उसके अधिदेश के भीतर नियमों का पालन किया जाता है न्यास इस निरीक्षण कार्य को करने में विफल रहा है ।इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह सीजीटीएमएसई में सुधार करने पर विचार करे, यह सुनिश्चित करे कि नियमों का पालन किया जाए और एमएलआई या न्यास के अधिकारियों की ओर से चूक के मामलों में उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाए।इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण समिति को सूचित किया जाए।

6. समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि एमएसएमई इकाइयां ज्यादातर जिला स्तर पर काम करती हैं, लेकिन राज्य स्तर पर भी प्रस्तावों और एमएलआई की शिकायतों को देखने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। इन स्तरों पर एमएलआई इकाइयाँ निर्णय लेती हैं जो उनके लिए उपयुक्त और उचित माने जाते हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस मामले को देखे और विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त

और व्यवहार्य तंत्र विकसित करने की दिशा में उचित कार्रवाई करे और जमीनी स्तर पर शिकायतों को दूर करने में भी मदद करे।

<u>योजना का कवरेज</u>

7. समिति यह जानकर निराश है कि सीजीटीएमएसई से गारंटी प्रदान करके एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया ऋण 31 मार्च, 2019 को कुल ऋण का केवल 5.66% है। कामत समिति ने दिए गए ऋण का 15% तक 'गारंटी' दिए जाने को इस क्षेत्र के लिए आदर्श माने जाने की सिफारिश की थी। पहले दी गई जानकारी के अनुसार, सीजीटीएमएसई द्वारा संचालित गारंटी योजना एक एमएलआई संचालित योजना है और गारंटी मांगने का विकल्प एमएलआई तक है। इस योजना के तहत एमएलआई को अपने सभी एमएसई ऋणों को कवर करने के लिए अधिदेशित नहीं किया गया है। हालांकि बाद के उत्तर में, समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने कम कवरेज की समस्या का विश्लेषण और समाधान करने के लिए एक अभ्यास किया था जिसके बाद कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं जैसे कि हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल को अनुमति प्रदान करना, ऋण के देने के लिए खुदरा व्यापार कार्यकलापों को शामिल करना, गारंटी कवरेज की सीमा को 75% तक बढ़ाना, एनबीएफसी, एसएफबी, सहकारी बैंकों आदि की बकाया राशि के लिए गारंटी शुल्क लेना। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, नीतिगत परिवर्तनों के बाद, दी गई गारंटियों की संख्या वित्त वर्ष 2019 में 4.36 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 8.47 लाख हो गई है, जो कि 94% की वृद्धि के बराबर है। इस संबंध में समिति चाहती है कि एमएसएमई क्षेत्र में संभावित उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए योजना को उचित रूप से तैयार किया जाए, और देश के बड़े क्षेत्रों में कवरेज का विस्तार किया जाए ताकि उन हितधारको को शामिल किया जा सके

जो देश में रोजगार पैदा करने की स्थिति में हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं।

8. समिति आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल की सराहना करती है और सिफारिश करती है कि इन नई पहलों के माध्यम से दी गई सभी गारंटियों के प्रभाव का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाए ताकि कमियों की पहचान की जा सके और उन्हें तुरंत दूर किया जा सके। समिति पाती है कि ट्रस्ट ने अर्थव्यवस्था पर योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त किया है। क्रेडिट योजना के लाभार्थियों के साथ सम्प्रेषण करते हुए एजेंसी विमुद्रीकरण और महामारी के प्रभाव से संबंधित पहलुओं को भी कवर करेगी। समिति चाहती है कि एजेंसी यथाशीघ्र परियोजना को पूरा करे और तत्तसंबंधी परिणाम से उसे अवगत कराए। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय "उद्यम पंजीकरण" और "चैंपियन पोर्टल" का उपयुक्त प्रचार करे ताकि एमएसएमई क्षेत्र से अधिक इकाइयों को आकर्षित किया जा सके। समिति जमीनी स्तर पर एमएलआई के महत्व पर भी जोर देती है, जिन तक आवेदकों की आसानी से पहुंच हो सके। वर्तमान में एमएलआई की संख्या 145 है जो देश के आकार के अनुसार बहुत कम है। तदनुसार, समिति सिफ़ारिश करती है कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत और अधिक एमएलआई को नामांकित किया जाए ताकि उद्यमियों के लिए पहुंच का विस्तार किया जा सके।

9. समिति नोट करती है कि सीजीटीएमएसई महिला उद्यमियों को इस योजना के तहत अतिरिक्त गारंटी कवरेज और रियायती गारंटी शुल्क के रूप में लाभ प्रदान करती है। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, समिति को उपलब्ध कारवाई गई जानकारी से पता चलता है कि केवल 3% लाभार्थी कमजोर वर्गों से हैं। चूंकि इस योजना के तहत कमजोर वर्गों के उद्यमियों को

बढ़ावा देने की गुंजाइश है, समिति इस दिशा में उचित उपाय करने की आवश्यकता ज़ोर देती है।

10. मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 के अनुसार, 2015-16 की अवधि के दौरान, कुल 633.88 लाख अनिगमित गैर-कृषि एसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे हुए थे, अर्थात एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित लगभग 11.10 करोड़ व्यक्ति लगे हुए थे। समिति मंत्रालय के पृष्ठभूमि टिप्पण से यह भी नोट करती है कि 2015-16 की अवधि के दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र ने 2018-19 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 30.30 प्रतिशत और विनिर्माण का 37.30 प्रतिशत का योगदान दिया और 2019-20 की अवधि के दौरान एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के निर्यात का हिस्सा 49.80 प्रतिशत था। हालांकि, समिति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पृष्ठभूमि टिप्पण से नोट करती है कि केवल 12,79,768 उद्यमों ने मंत्रालय द्वारा विकसित 'उद्यम' पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। समिति आगे नोट करती है कि उद्यम पोर्टल के अनुसार, वर्गीकृत और अवर्गीकृत एसएमई का कुल योग 2136337 है। समिति पाती है कि रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात आदि के लिए उनकी जबरदस्त क्षमता के बावजूद, मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'उद्यम पोर्टल पर उद्यमों का पंजीकरण छोटे स्तर तक ही बना रहा। समिति का विचार है कि मंत्रालय के उद्यम/उद्योग आधार पोर्टल पर उद्यमों के पंजीकरण का निम्न स्तर कमजोर प्रयासों को प्रदर्शित करता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा एसएमई के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। समिति की राय है कि उद्यम पोर्टल के साथ पंजीकरण करने का अभिप्राय मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से लाभ

प्रदान करने की दिशा में एसएमई की मदद करने की ओर पहला कदम है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय आदि के साथ समन्वय करके उद्यमों को उद्यम/उद्योग आधार पोर्टल पर अपनी इकाइयों को पंजीकृत कराने के तरीकों का पता लगा सकता है।

11. समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने 27.06.2017 को उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के तहत पंजीकरण के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत कवर नहीं की गई गतिविधियों को अधिसूचित किया था। समिति नोट करती है कि इससे मोटर वाहनों और मोटर साइकिल गतिविधियों में लगे लोगों को छोड़कर, उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) के तहत पंजीकरण के लिए वर्गीकृत होने वाले खुदरा व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। समिति नोट करती है कि रिटेलर्स एमएसएमई स्कीमों का लाभ लेने में सक्षम नहीं थे, जिनमें उधार योजनाएं भी शामिल थीं क्योंकि वे उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) के तहत एमएसएमई के रूप में पंजीकृत नहीं थे। इस बीच वर्गीकरण पर पुनर्विचार किया गया है और खुदरा व्यापारियों को अब एमएसएमई क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। समिति को विश्वास है कि इससे खुदरा व्यापारियों को एसएमई को उपलब्ध लाभों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और इस महामारी के समय में उनकी मदद करने में काफी मदद मिलेगी।

<u>क्रेडिट गारंटी योजना का कोष</u>

12. समिति नोट करती है कि क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र के विशेष रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में संपार्श्विक/तृतीय पक्ष गारंटी की परेशानी के बिना क्रेडिट लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा, इस योजना को

क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार और सिडबी ने जुलाई, 2000 में 2500 करोड़ रुपये की राशि के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की और यह राशि भारत सरकार और लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा वहन की जाएगी। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि सीजीटीएमएसई का वर्तमान कोष 8682 करोड़ का रुपये है और कोष का कुल आकार 12,848 करोड़ रुपये का है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि सीजीटीएमएसई कोष का वर्तमान लाभ लगभग 8 गुना है, जो मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप है। समिति मंत्रालय के इस उत्तर को भी नोट करती है कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं का है जहां ट्रस्ट ने अपने कोष में कमी का अनुभव किया हो। तथापि, इसके विपरीत, समिति यह भी पाती है कि सीजीटीएमएसई केवल कुछ ही उद्यमों को गारंटी प्रदान कर रहा है क्योंकि अधिकांश एसएमई पंजीकृत नहीं हैं। समिति, इस संबंध में, यह भी नोट करती है कि संशोधित परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अब 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये से कम के निवेश वाली इकाइयों और 5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार, 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समिति चाहती है कि एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों की परिभाषा/वर्गीकरण में समग्र संशोधन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाए और समिति को इससे अवगत कराया जाए। इसके अलावा, समिति यह नोट करके चिंता महसूस करती है कि बड़ी संख्या में एसएमई योजना में शामिल नहीं हैं और यह चाहती है कि मंत्रालय संभावित उद्यमियों और समूहों के बीच योजना का उचित प्रचार करे और संभावित उधारकर्ताओं तक पहुंच बनाने के प्रयासों को बढ़ावा दे जिन्हें क्रेडिट गारंटी की आवश्यकता है। मंत्रालय को उक्त योजना के फंड के आकार को बढ़ाने की दिशा में

भी प्रयास करना चाहिए जिसकी अन्य देशों से तुलना की जा सके और संभावित घरेलू मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करना चाहिए।

13. समिति सिफारिश करती है कि निधि का लाभ उठाने के लिए बेंचमार्क वास्तविक रूप से निर्धारित किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुपालन में बेंचमार्क तय करते समय कायिक निधि की पर्याप्तता का विश्लेषण किया जाए और एमएलआई के पहले दावे, अस्वीकृत दावे और अपेक्षित दूसरे दावे को भी ध्यान में रखा जाए। समिति इस बात को भी पुरजोर सिफारिश करती है कि ऋण प्राप्त करने और उस पर गारंटी प्राप्त करने के लिए आवेदनों की अस्वीकृति के मामलों को कम करने के उपाय किए जाएं और इस दिशा में सूचना शिक्षा अभियान प्रभावी ढंग से शुरू किया जाए ।

<u>ऋण देनेवाली सदस्य संस्थाएं (एमएलआई):</u>

14. समिति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पण से यह नोट करती है कि वर्तमान में सीजीटीएमएसई के 145 पंजीकृत एमएलआई सीजीएस का लाभ उठा रहे हैं जिनमें 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 28 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 लघु वित्त बैंक, 6 विदेशी बैंक, 11 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, 9 वित्तीय संस्थान और 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। । समिति पाती है कि संभावित लाभार्थियों तक सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच को सीमित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक कारक कार्यस्थल के नजदीक एमएलआई की कमी है। इसे देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस मामले को वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के साथ उठाए ताकि ऋण देनेवाली सदस्य संस्थाओं (एमएलआई) की सूची का विस्तार किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सीजीटीएमएसई और मंत्रालय को अपने दम पर एक क्षेत्र के संभावित लाभार्थियों और सीजीएस को लागू करने वाले एमएलआई का स्पष्ट मूल्यांकन करने

की जरूरत है और यह सुनिश्चित करें कि एमएलआई और गारंटी योजना संबंधी जानकारी जनता को आसानी से उपलब्ध हो।

15. समिति का मानना है कि इस योजना में एक अंतर्निहित कमी यह है कि जब एमएलआई को उधार लेने वालों की जानकारी अर्थात गतिविधियों के प्रकार, उद्योग की प्रकृति, बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज, ऋण की राशि, उधारकर्ताओं/एमएसई इकाई आदि को अपलोड करने की आवश्यकता होती है ब्यौरा, उधारकर्ता इकाई के प्रबंधन, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और उधारकर्ता/प्रवर्तकों की वित्तीय क्षमताओं संबंधी ब्यौरा को मेनटेन नहीं किया जाता है। चूंकि सिस्टम पोर्टल में ऐसा कोई डेटा नहीं है, इसलिए इस महत्वपूर्ण डेटा की सटिकता को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन की जिम्मेदारी एमएलआई की होती है और ट्रस्ट की गारंटी देने के अलावा कोई भूमिका नहीं होती है। समिति यह देखकर आश्चर्यचकित है कि 99.84% मामलों में (लेखा परीक्षा द्वारा जांच की गई मामलों में से) कानूनी आईडी और मुख्य प्रवर्तक के प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ज्यादातर मामलों में, मुख्य प्रवर्तक के जन्म का वर्ष, ऋण मंजूरी का वर्ष, स्थान का पिन कोड आदि का उल्लेख यादृच्छिक, गलत और अबोध्य तरीके से किया जाता है। 1852 मामलों में इकाई के कर्मचारियों की संख्या का कोई ब्यौरा नहीं है और 6007 मामलों में प्रपत्र में उल्लिखित विक्रय संबंधी कारोबार शून्य है। साथ ही, 94 प्रतिशत मामलों में मुख्य प्रवर्तक के कॉन्टैक्ट नम्बर का जिक्र नहीं है। इन विसंगतियों को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है, और इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

16. समिति यह भी नोट करती है कि कुछ एमएलआई ने एक ही आवेदन के संबंध में एक से अधिक बार गारंटी कवर के लिए आवेदन किया है। मंत्रालय के अनुसार, एमएलआई को इस तरह की विसंगतियों से बचने के लिए सख्ती से निर्देश दिया गया है। समिति चाहती है कि इस संबंध में योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित एमएलआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें इसके ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

<u>संपार्श्विक पर जोर डालना</u>

17. समिति नोट करती है कि क्रेडिट गारंटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष क्रेडिट गारंटी के ऋण की गारंटी प्रदान करना है। हालांकि, समिति नोट करती है कि नियम का उल्लंघन बिना किसी दंड के किया गया है। एमएलआई, गारंटी कवर के लिए आवेदन करते समय कॉलम के सामने या तो हां/नहीं के रूप में चिह्नित कर रहे हैं कि क्या 'संपार्श्विक प्रतिभूति ली गई थी' जो अनिवार्य है, लेकिन 'थर्ड पार्टी गारंटी' से संबंधित कॉलम नहीं भरा गया था क्योंकि यह अनिवार्य नहीं था। समिति नोट करती है कि एमएलआई ने गारंटी को अनुमोदन देते समय संपार्श्विक प्रतिभूति (314 मामले) या थर्ड पार्टी गारंटी (391 मामले) या दोनों (28 मामलों में) ली है। समिति चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए कि ऐसे कार्य की जो उन उद्देश्यों का उल्लंघन करते हैं जिनके साथ ऋण गारंटी योजना तैयार की गई है, पुनरावृत्ति न हो। समिति चाहती है कि संसद में इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

18. इसके अलावा, समिति यह भी नोट करती है कि बिना जमानत के ऋण देने में बैंकों की अनिच्छा एसएमई के पास निधि की कमी का एक प्रमुख कारण है।

समिति लेखापरीक्षा के विचार का समर्थन करती है कि आवेदनों को अस्वीकार करने के बजाय, प्रभावी सूचना शिक्षा अभियान शुरू करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदन सही प्रारूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समिति का विचार है कि इस तरह के उपाय से एमएलआई में गारंटी साधन की प्रभावकारिता पर अधिक विश्वास पैदा करने, आश्वासन प्रदान करने में मदद मिल सकती है और इस तरह एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा फ्रंट-एंड सपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में सीजीटीएमएसई वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के समन्वय में एक तंत्र स्थापित करता है जिसके तहत ऐसे आवेदनों की जिनके संबंध में एमएलआई जमानत के अभाव में या अन्यथा एसएमई को ऋण प्रदान में अनिच्छुक हैं समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि कोई भी उधारकर्ता प्रतिभूति के अभाव में परेशान न हो। यह, दीर्घावधि में, एमएलआई/बैंकों को आगे आसानी से ऋण देने में आराम से आगे आने में मदद करेगा और इस तरह सीजीटीएमएसई के तहत कवरेज में वृद्धि होगा।

<u>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कोविड-19 लॉकडाउन का प्रभाव और गारंटी वाले मामलों की संख्या में गिरावट</u>

19. समिति नोट करती है कि सीजीटीएमएसई ने अर्थव्यवस्था पर ट्रस्ट के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी को काम पर रखा है। समिति यह भी नोट करती है कि उक्त एजेंसी को सीजीटीएमएसई की लाभार्थी इकाइयों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत करनी होती है और उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती होती है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि कोविड-19 महामारी के कारण सर्वेक्षण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एजेंसी को

सीजीटीएमएसई गारंटी के तहत कवर किए गए एमएसएमई पर कोविड -19 और नोटबंदी के प्रभाव को कवर करना है। समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई गारंटियों की संख्या 263195 पर लगभग आधी हो गई, जबकि पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों की संख्या 452127 थी। समिति महसूस करती है, दी गई गारंटियों की संख्या में भारी गिरावट के कारणों की पहचान करने की दृष्टि से गहन विश्लेषण की बात कही गई है। समिति सिफारिश करती है कि महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के परिणामस्वरूप एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए उपयुक्त उत्तर के साथ-साथ दीर्घकालिक उपाय करने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन यथाशीघ्र पूरा किया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र समिति को दी जाए.

20. विभिन्न देशों ने हाल की महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों पर विशेष रूप से अपने एमएसएमई क्षेत्र को लेकर प्रतिक्रिया दी है । भारत में, वित्त मंत्रालय ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को एक समाधान के रूप में सामने लाया है। समिति नोट करती है कि एसएमई के संबंध में सभी नीतिगत निर्णय संबंधित मंत्रालयों द्वारा लिए जाते हैं और एक स्तर पर नीति निर्माण का कोई अभिसरण नहीं होता है। इस संबंध में, समिति यूके सिन्हा समिति (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन, जून 2019) की सिफारिशों में से एक पर ध्यान देती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बजाय एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हस्तक्षेप वाले सभी कार्रवाई के लिए नोडल मंत्रालय होना चाहिए। । अतः समिति सिफारिश करती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को एसएमई

से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक 'अभिसरण बिंदु' बनाया जाना चाहिए, और इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय से एक व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

21. महामारी के दौरान भारत में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की कमी के गंभीर संकट के अलावा, लॉकडाउन (ओं) के दौरान उत्पन्न होने वाले अन्य क्षेत्र विशिष्ट आवश्यक चीजों को व्यापक रूप से बताया गया है। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, देश अब अपनी तेजी से बढ़ी हुई लगभग सभी मांग को पूरा करने के लिए हैंड सेनिटाइजर बोटल डिस्पेंसरों (पम्प/फ्लिप) का पर्याप्त उत्पादन और सहायक वस्तुओं जैसे मास्क, फेस-शील्ड, पीपीई किट, सैनिटाइज़र बॉक्स, परीक्षण सुविधाएं आदि को विकसित/ उत्पादन कर रहा है। समिति महसूस करती है कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र में बार-बार आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को साबित किया है। समिति महसूस करती है कि यदि एमएसएमई को वित्तीय सहायता दी जाए, तो वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि दुनिया में कहीं और लॉन्च किए गए लक्षित उत्पादों के समान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र और सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से पुनर्जीवित किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, के लिए विशेष उत्पादों के साथ आगे आना चाहिए। समिति को लगता है कि इससे एसएमई, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत महामारी के आर्थिक प्रभाव का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार होगा। समिति सिफारिश करती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और सीजीटीएमएसई को उत्पाद

(उत्पादों) की विशेष क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ आगे आना चाहिए, जिससे एमएलआई को योजना में सम्मिलित पुनर्भुगतान के लचीलेपन के साथ बहुत सस्ती दर पर ऋण देने की सुविधा मिल सके ताकि कोविड -19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न प्रतिकूल वित्तीय स्थिति से जूझ रहे बीमार एसएमई को मदद मिल सके। इसके अलावा, इस कठिन समय में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए एनपीए मानदंडों में ढील देने की वकालत करे।

<u>विनियामक प्राधिकरण का मुद्दा:</u>

22. समिति नोट करती है कि न्यास के पास कोई विनियामक प्राधिकार नहीं हैं। अनुमोदित/जारी गारंटी, पूंजी पर्याप्तता, विभिन्न प्रकार के एमएलआई के लिए सॉल्वेंसी आवश्यकता एक्सपोजर कैप, प्रकटीकरण मानदंड और लेखा मानकों की तुलना में आवश्यक लिक्विडिटी पर भारत सरकार/न्यास द्वारा कोई बेंचमार्क निर्धारित नहीं है। समिति यह भी नोट करती है कि न्यास के कामकाज के कई पहलुओं जैसे संचालन का दायरा, शासन, पूंजी और परिचालन आवश्यकताएं और राज्य के स्वामित्व वाले कोष तक पहुंच को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं। समिति नोट करती है कि न्यास ने वर्ष 2015 में विनियामक दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जब बोर्ड ने इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। इस प्रस्ताव के आधार पर काम पर लगाए गए सलाहकार फर्म ने वर्ष 2017 में एक प्रतिवेदन दिया, लेकिन प्रतिवेदन को कभी भी बीओटी के सामने नहीं रखा गया, जिससे किया गया व्यय बेकार हो गया।

समिति, यू.के. सिन्हा समिति प्रतिवेदन (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन, जून 2019) की इस सिफारिश को नोट करती है कि सभी क्रेडिट गारंटी योजनाएं आरबीआई के विनियमन और निरीक्षण/पर्यवेक्षण के अधीन होनी चाहिए। इसके अलावा, सिफारिशों के अनुसार, ऐसे विनियामक दिशानिर्देश एसएमई के लिए सार्वजनिक ऋण गारंटी योजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के स्थापित स्वीकृत सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, जिसे विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित किया गया है। समिति का मत है कि अपने वर्तमान स्वरुप में, बोर्ड और अवस्थापकों (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी) द्वारा निगरानी पर्याप्त नहीं है और यह सिफारिश करती है कि प्रायोगिक दृष्टिकोण को छोड़कर और आगे बिना किसी निष्फल व्यय के, जल्द-से-जल्द एक उचित विनियामक ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि उद्यमियों को व्यापक क्षेत्र में निधियों की आसान उपलब्धता और साथ ही साथ वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके। जब ऋण योजना का विस्तार हो रहा हो तो इस क्षेत्र में ऋण गारंटी प्राधिकरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण की स्थापना के माध्यम से न्यास के लिए एक उचित विनियामक ढांचे का गठन, या न्यास को सुस्पष्ट शब्दों में आरबीआई के विनियामक दायरे में लाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, जिस पर अब तक कोई निष्कर्षात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। समिति को विश्वास है कि ऋण गारंटी देने में सम्मिलित संस्थाओं के कार्यकरण का उचित और प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

<u>एनसीजीटीसी और सीजीटीएमएसई</u>

23. समिति नोट करती है कि विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंडों के प्रबंधन और संचालन के लिए वर्ष 2014 में एनसीजीटीसी को निगमित किया गया था। एनसीजीटीसी की निधियों में से एक सीजीएफएमयू है, जिसे बैंकों, एनबीएफसी/एमएलआई और समान व्यवसायों में लगे अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा स्वीकृत दस लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि वित्त मंत्रालय ने 18 अप्रैल, 2016 से सीजीएफएमयू को योजना के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए प्राधिकृत किया था। इसके कारण, सीजीटीएमएसई बोर्ड ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के संचालन के बाद दस लाख रुपये तक के किसी भी ऋण की गारंटी अनुमोदित नहीं करने का निर्णय लिया। समिति यह भी पाती है कि 5 जनवरी, 2017 को एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के तत्वावधान में बैंकों, सिडबी और सीजीटीएमएसई के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सीजीटीएमएसई द्वारा दस लाख रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी नहीं देने के निर्णय पर एक बार फिर जोर दिया गया था। इन निर्णयों का अनुपालन नहीं किया गया है और 10 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी इस दलील पर दी जाती रही कि कुछ एमएलआई ने गारंटी प्रदान करने के लिए दो स्रोतों की उपस्थिति का समर्थन किया है ताकि कवर प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। समिति नोट करती है कि न्यास के कार्यकरण के संबंध में स्पष्टता और नियंत्रण का अभाव है। इस संबंध में, समिति यह सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि दो संगठनों के कार्यकरण में स्पष्ट ओवरलैप (अतिव्यापन) उनके कार्यकरण के लिए हानिकारक न हो और विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्राप्त की जा रही ऋण की गारंटी प्रदान करने के संदर्भ में ऐसा न हो।

निरीक्षण नीति

24. समिति नोट करती है कि योजना (सीजीएस-एक) के अनुसार, न्यास के लिए वसूली की मंजूरी, निगरानी और प्रेषण एमएलआई की जिम्मेदारी है। योजना का खंड 15 (दो) न्यास को उधार देने वाली संस्थाओं की लेखा पुस्तिकाओं और अन्य अभिलेखों की प्रतियों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां मंगाने की शक्ति/अधिकार देता है। समिति यह नोट कर हैरान है कि न्यास को शक्ति प्रदान करने के बावजूद, उसने निरीक्षण करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, एमएलआई के निरीक्षण के लिए कोई मानदंड तैयार नहीं किया गया है और निरीक्षण नीति जैसी कोई बात नहीं है। समिति यह भी नोट करती है कि इस संबंध में वर्ष 2016-2017 और 2017-18 के दौरान न्यास द्वारा किए गए एक नमूना निरीक्षण में 17 कमियां प्रकाश में आई थीं। कमियों के लिए पूरी तरह से एमएलआई को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति के विचार में यह अनुपयुक्त और गलत है, क्योंकि न्यास ने नियमित निरीक्षण करने के अधिदेश का पालन नहीं किया है, और निरीक्षण करने के लिए कोई मानदंड तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा, यद्यपि आरबीआई ने वर्ष 2015 में ऋण अनुशासन और संवितरण पश्चात आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव दिए थे, तथापि ऐसा लगता है कि न्यास ने एमएलआई के साथ कार्य व्यवहार करने के दौरान इन सुझावों की अनदेखी की है। अब, लेखापरीक्षा टिप्पण के बाद, प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया है और यह आश्वासन दिया है कि निरीक्षण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक व्यवस्थित पद्धति स्थापित की जाएगी। समिति चाहती है कि इस संबंध में नीति/दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और उन्हें समिति के साथ साझा किया जाए।

25. समिति यह भी नोट करती है कि योजना के खंड 10 (पांच) के अनुसार, उधार देने वाली संस्थाएं मौजूदा बैंक दर से अधिक प्रति वर्ष चार प्रतिशत की दंडात्मक ब्याज दर के साथ न्यास द्वारा जारी किए गए दावों को वापस करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, बशर्ते कि क्रेडिट सुविधा के मूल्यांकन/नवीनीकरण में भारी कमियों, वास्तविक सूचना को छुपाने आदि की स्थिति में न्यास द्वारा इन दावों को मांगा जाता है। समिति यह जानकर चकित है कि इस पहलू पर योजना के प्रावधानों के स्पष्ट होने के बावजूद, न्यास दो वर्ष बीत जाने के बाद भी दंडात्मक ब्याज प्रभारित किए बिना एमएलआई को राशि को जमा करने की अनुमति देता रहा है। समिति, इस मामले में चूक के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव देने के अलावा, पिछले पांच वर्षों में एमएलआई द्वारा इस तरह के विलंब से जमा राशि के विवरण से अवगत होना चाहती है।

<u>निपटान के बाद वसूली</u>

26. समिति नोट करती है कि योजना के खंड 13 के अनुसार, उधार देने वाली संस्थाओं के लिए एमएलआई की वसूली संबंधी कानूनी लागत को समायोजित करने के पश्चात् न्यास के साथ दावों के निपटान के बाद वसूल की गई धनराशि जमा करना आवश्यक होता है। योजना के अनुसार, न्यास के लिए सबसे पहले बकाया वार्षिक सेवा शुल्क/वार्षिक गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए वसूली को विनियोजित करना आवश्यक है। इसके लिए, न्यास ने मार्च, 2014 में एमएलआई को सांविधिक लेखापरीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सीजीएस के तहत कवर की गई गारंटी के संबंध में सीजीटीएमएसई द्वारा किए गए दावे के निपटान के बाद, एमएलआई द्वारा की गई वसूली को सीजीएस के प्रावधानों के अनुसार

यथोचित रूप से सीजीटीएमएसई को भेज दिया गया है। हालांकि, समिति ने पाया कि दावों के निपटान के बाद एमएलआई उनके द्वारा की गई वसूली को नहीं भेज रहे हैं और केवल कुछ ही (लगभग 10) एमएलआई ने ऐसे प्रमाण पत्र जमा किए थे, और कुछ मामलों में, इसकी भाषा में अस्पष्टता थी। इसके अलावा, समिति , यह नोट करके भी हतप्रभ है कि ट्रस्ट ने अपनी ओर से सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया। इसके अलावा, ट्रस्ट दावों को दर्ज करने से पहले एमएलआई से ऑन-लाइन घोषणाओं और वचन पत्रों को स्वीकार करके अपने स्वयं के निर्देशों के उल्लंघन में कार्य कर रहा था। इससे एमएलआई को सरकारी खजाने के धन को अपने पास रखने का मौका मिला क्योंकि वचन पत्रों या घोषणाओं से उन्हें वसूली न करने के लिए कोई न कोई तर्क देने की अनुमति मिल गई । निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसे मामले पाए गए हैं। समिति यह नोट करके विस्मित है कि मंत्रालय ने इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रबंधन ने इन तथ्यों को स्वीकार किया और तर्क दिया कि अधिकांश एमएलआई के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि लेखा परीक्षकों के लिए शाखा स्तर पर लेनदेन को सत्यापित करना संभव नहीं था, जिसके कारण ट्रस्ट ने एमएलआई से ऑनलाइन घोषणाओं और वचन पत्रों को स्वीकार करना शुरू कर दिया । समिति यह नोट करके निराश है कि ट्रस्ट स्वयं अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और एमएलआई के साथ-साथ ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन में काम कर रहे थे। समिति यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस करती है कि ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। समिति यह भी चाहती है कि एमएलआई द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के कारण आवश्यक परिवर्तनों को निर्देशों में समुचित रूप से शामिल करने की आवश्यकता है जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके।

मूल्यांकन और गारंटी का मुद्दा

27. समिति लेखापरीक्षा निष्कर्षों से नोट करती है कि ट्रस्ट ने प्राथमिक प्रतिभूति के सृजन के बिना उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटी जारी की। यह अनुमोदित योजना के दिशा-निर्देशों {योजना के खंड 7 (iii)} के विरुद्ध था। वर्ष 2013 में, बोर्ड ने निर्णय लिया था कि जिन ऋण सुविधाओं में संपत्ति के निर्माण की परिकल्पना नहीं की गई है, वे गारंटी योजना के तहत विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगी। ट्रस्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली में इस जांच को कार्यान्वित नहीं किया कि एमएलआई द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा ने उधारकर्ता को दिए गए क्रेडिट से प्रतिभूति सृजित हुई है। इसके अलावा, जिस तिमाही में ऋण स्वीकृत किया गया था, उसके बाद की तिमाही की समाप्ति के बाद भी एमएलआई ने गारंटी कवर के लिए आवेदन किया था। साथ ही, गारंटी कवर के लिए एक ही आवेदन/ऋण सुविधा के लिए एक से अधिक बार आवेदन किए गए थे और ट्रस्ट ने एमएलआई को उनके आवेदन के अनुसार गारंटी कवर जारी किया था जो वित्तीय हितों और कारोबारी विवेक के विरुद्ध था और खराब आंतरिक नियंत्रण का भी संकेत है। आगे समिति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से नोट करती है कि सीजीटीएमएसई के पास उन अनियमित ऋणों के मामलों का विवरण नहीं है जो ऋण देने वाली समस्त संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सीजीटीएमएसई एमएलआई के निरीक्षणों की आवृत्ति और गुणवत्ता में वृद्धि करे और अनियमित ऋणों के मामलों पर ध्यान देने का प्रयास करे ताकि इन खामियों को दूर करने के लिए एक निर्णायक तंत्र पर पहुंचा जा सके और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर सकें कि सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटी का

दुरुपयोग नहीं किया जाता है। समिति महसूस करती है कि ऐसा करने से एमएलआई को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भी मदद मिलेगी ।

<u>निवेश ग्रेड और रेटिंग</u>

28. सीजीएस-I के खंड 9 में प्रावधान है कि 50 लाख रुपये से अधिक और 200 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी अनुमोदन की मंजूरी के सभी प्रस्तावों का एमएलआई को आंतरिक रूप से मूल्यांकन करना होगा और इनको 'निवेश ग्रेड' का होना चाहिए। समिति लेखापरीक्षा निष्कर्षों से नोट करती है कि ट्रस्ट/योजना ने एमएलआई को अपने स्वयं के मानकों के अनुसार 'निवेश ग्रेड' के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दी थी। समिति यह भी पाती है कि सभी ऋणदाता संस्थान ऋण प्रस्तावों को 'निवेश ग्रेड' या अन्यथा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपने स्वयं के 'रेटिंग/स्कोर मॉडल' का अनुसरण कर रहे हैं। समिति यह भी पाती है कि योजना ने प्रस्तावों की 'रेटिंग' को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि 50 लाख रुपये तक के क्रेडिट प्रस्तावों के लिए 'रेटिंग' अनिवार्य नहीं थी। यह नोट करके आश्चर्य होता है कि 25 मई, 2016 तक आवेदनों में 'रेटिंग' की स्थिति दर्शाने के लिए एक कॉलम शामिल था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने 'रेटिंग' और 'निवेश ग्रेड' से संबंधित प्रासंगिक कॉलम में केवल 'हां' या 'नहीं' का उल्लेख करने के लिए प्रारूप को संशोधित करके इस प्रणाली को कमजोर कर दिया है। समिति आगे नोट करती है कि जबकि ट्रस्ट को केवल ऐसे प्रस्तावों के संबंध में 'गारंटी' जारी करना अपेक्षित था , जिनकी रेटिंग है /या रेटिंग की हुई है, इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है। समिति सिफ़ारिश करती है कि सीजीटीएमएसई 'निवेश ग्रेड' के रूप में माने जाने वाले प्रस्ताव के लिए व्यापक मानदंड/ जांच सूची निर्धारित करे जिससे कि 'गारंटी' की मंजूरी के प्रस्तावों के

मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। सीजीटीएमएसई क्रिसिल और विभिन्न अन्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग संरचनाओं के समान रेटिंग संरचना तैयार करे । समिति महसूस करती है कि इस तरह के अनुभवजन्य उपकरण न केवल लक्षित गारंटी उत्पाद तैयार करने के लिए सीजीटीएमएसई के काम आएंगे बल्कि एमएलआई के लिए भी उपयोगी होंगे।

<u>विदेशी/निजी बैंक</u>

29. समिति नोट करती है कि निजी और विदेशी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर स्वीकृत ऋणों पर गारंटी दी गई है। यह योजना के खंड 7 (iii) के उल्लंघन में है जिसके अनुसार प्राथमिक सुरक्षा का सृजन आवश्यक रूप से किया जाना है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार, आवेदनों में शत-प्रतिशत मामलों में प्राथमिक सुरक्षा' से संबंधित स्थिति के बारे में डेटा खाली छोड़ दिया गया है। इस संबंध में और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है और यह तर्क दिया गया है कि यह केवल नियमित बैंकरों से उपलब्ध मौजूदा ऋण सुविधाओं का पूरक है। समिति को यह आश्चर्यजनक लगता है कि ट्रस्ट के अधिकारी, जो सार्वजनिक धन पर नजर रखने के लिए बाध्य हैं, उन कृत्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं जो स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों के उल्लंघन में हैं। समिति पुरजोर सिफ़ारिश करती है कि उन मामलों की गहन जांच की जाए जहां व्यक्तिगत गारंटी पर गारंटियां जारी की गई हैं और जो कोई प्राथमिक प्रतिभूति सृजित नहीं करती हैं।

<u>आतंरिक नियंत्रण</u>

30. समिति लेखापरीक्षा अवलोकन से नोट करती है कि गारंटियों के अनुमोदन की प्रणाली में अपर्याप्तता के कारण, वित्तीय हित के साथ-साथ ट्रस्ट की कारोबारी

व्यवहार्यता खतरे में पड़ रही है। समिति इस संबंध में यह भी नोट करती है कि ट्रस्ट ने अनुमोदन के समय एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए आवेदनों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है, और व्यापार इकाई की वित्तीय स्थिति से संबंधित डेटा को ऑनलाइन कैप्चर करने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। ऋण की मंजूरी से पहले, मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी भिन्नता के मामले में, ट्रस्ट ऐसे खातों के संबंध में डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। समिति ने यह नोट करते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि योजना की रक्षा के लिए कुछ कार्रवाई की गई है और एमएलआई की गलत सूचना और मूल्यांकन प्रणाली में दोषों की समस्या का समाधान किया गया है, फिर भी, यह सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि सिस्टम की अपर्याप्तता का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाए । समिति चाहती है कि की गई कार्रवाई और गारंटियां देने की प्रक्रिया पर संवीक्षा के प्रभाव का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति
लोक लेखा समिति

****

परिशिष्ट -I

गोपनीय

लोक लेखा समिति (2020-21) की दिनांक 4 जनवरी, 2021 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 4 जनवरी, 2021 को 1100 बजे से 1320 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री जयंत सिन्हा

राज्य सभा

8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री नरेश गुजराल
10. श्री भूपेन्द्र यादव

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी.जी. चंद्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री एम.एल.के. राजा - निदेशक
3. श्री आलोक मणि त्रिपाठी - उप सचिव

<u>भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि</u>

1. सुश्री शोभा कुमार - उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
2. सुश्री रितिका भाटिया - महानिदेशक
3. सुश्री कविता प्रसाद - महानिदेशक
4. श्री सी. नेदुनचेज़ियाँन - महानिदेशक

<u>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि</u>

1. श्री ए.के. शर्मा - सचिव
2. श्री देवेंद्र कुमार सिंह - अपर सचिव एवं विकास आयुक्त
3. श्री पीयूष श्रीवास्तव - अपर विकास आयुक्त
4. श्री संदीप वर्मा - सीईओ, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
5. श्री दीपक राव - संयुक्त विकास आयुक्त

2. सर्वप्रथम, लोक लेखा समिति के सभापति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन संख्या 10 पर आधारित "**सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का कार्यकरण**" विषय पर लेखापरीक्षा अधिकारियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित समिति की इस बैठक में सदस्यों और लेखापरीक्षा अधिकारियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् सभापति ने उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से समिति को उनके प्रतिवेदन में बताई गई कमियों व निष्कर्षों और उनके द्वारा दिए गए सुझावों तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कार्यकरण के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा।

4. तत्पश्चात् उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विस्तार से बताया कि सीएंडएजी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की लेखापरीक्षा की है तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कार्यकरण में कमी से संबंधित उन विभिन्न मुद्दों की व्याख्या की, जो लेखापरीक्षा संवीक्षा के बाद सामने आए और सदस्यों की सुविधा के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति दी।

5. इस विषय पर लेखापरीक्षा अधिकारियों से मिली जानकारी के पश्चात्, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों को और बुलाया गया और सभापति ने बैठक में उनका स्वागत किया। समिति की कार्यवाही की गोपनीयता पर जोर देते हुए, सभापति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव से इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर समिति को अवगत कराने और विषय वस्तु के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों/टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा।

6. तदनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव ने सीजीटीएमएसई के सीईओ के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) बनाने की अनुमति मांगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीजीटीएमएसई के अधिदेश; सीजीटीएमएसई और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) दोनों के ओवरलैपिंग मैंडेट; उद्यम पंजीकरण; सिडबी के संस्थागत ढांचे; ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं और ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं; गारंटी कवर की समय-सीमा; गारंटी कवर की अवधि; कवरेज की सीमा और निर्धारित शुल्क; और योजना के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

7. सीजीटीएमएसई के सीईओ ने भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर एमएसएमई की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट किया और, अन्य बातों के साथ-साथ उन मामलें जहां ट्रस्ट ने प्राथमिक प्रतिभूति बिना उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर गारंटी जारी की थी जो अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के खिलाफ थी; ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं द्वारा दिए गए डेटा की शुद्धता और सटीकता; नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ ओवरलैप करने के मामले; नियामकों की अनुपस्थिति; कोविड -19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर एमएसएमई की नई पहल; और एमएसएमई को वित्तीय सहायता और ऋण की गारंटी की पूरी प्रक्रिया के सरलीकरण आदि को भी कवर किया।

8. समिति के सभापति और सदस्यों ने मुख्य रूप से नियामक ढांचे की अनुपस्थिति; माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) की भूमिका के द्वंद्व; निजी क्षेत्र के बैंकों को गारंटी के प्रतिशत; गारंटी के स्वीकार्य स्तर; सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ तुलना; एमएलआईएस द्वारा फीड किए जा रहे डेटा की सटीकता; किसी अन्य देश में अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपने गारंटी उपकरणों का मूल्यांकन करने के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा किए जाने वाले समीक्षा अध्ययन; जिला स्तर पर ऋण गारंटी योजना के वास्तविक कार्यकरण; बैंकों और एमएलआई द्वारा संपार्श्विक पर जोर देने की जमीनी हकीकत; समय पर क्रेडिट गारंटी की हाइब्रिड प्रणाली के महत्व और आवश्यकता, संपार्श्विक के अभाव में गारंटी के लिए डिज़ाइन की गई योजना; गारंटी देने और खाते को बाद में एनपीए में बदलने और सिबिल की उचित स्थिति के बिना चूककर्ता खातों के लिए गारंटी कवर दिए जाने के बारे में विशिष्ट प्रश्न किए ।

9. सदस्यों का सर्वसम्मत मत था कि इस विषय पर सीएंडएजी की टिप्पणियों के बावजूद इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिसके कारण बहुत विलंब हो चुका है और ऐसे बहुत से गैर-वित्तपोषित एमएसएमई हैं जिन्हें अभी तक क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। अब चूंकि कई प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रहे, इसलिए सभापति ने मंत्रालय से चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित में 15 दिनों के भीतर देने को कहा। इसके बाद माननीय सभापति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों और साथ आए अन्य अधिकारियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और इस विषय पर बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद किया।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

<u>तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई</u>

लोक लेखा समिति (2021-22) की 10 फरवरी, 2022 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

लोक लेखा समिति की बैठक गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को 1500 बजे से 1555 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री विष्णु दयाल राम
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. डॉ. सत्यपाल सिंह
7. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
8. श्री जयंत सिन्हा
9. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

10. श्री शक्तिसिंह गोहिल
11. श्री भुबनेश्वर कालिता
12. डॉ. सी.एम. रमेश
13. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर – संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्री एस.आर. मिश्रा - निदेशक
4. श्रीमती भारती एस. टुटेजा – अपर निदेशक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राकेश मोहन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

2. श्री राज गणेश विश्वनाथन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

3. श्रीमती रितिका भाटिया - महानिदेशक

भाग-एक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात,उन्होंने समिति के समक्ष निम्नलिखित तीन कार्यसूची मदों से सदस्यों को अवगत कराया।

एक. XXXX XXXX XXXX

दो. XXXX XXXX XXXX

तीन. 4 प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

3. XXXX XXXX XXXX

4. XXXX XXXX XXXX

5. XXXX XXXX XXXX

6. XXXX XXXX XXXX

7. XXXX XXXX XXXX

8. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:

एक. "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का कार्यकरण" संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन

दो. XXXX XXXX XXXX

तीन. XXXX XXXX XXXX

चार. XXXX XXXX XXXX

9. XXXX XXXX XXXX

10. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात,समिति ने उपर्युक्त चार प्रतिवेदनों को बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार किया। समिति ने तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे माननीय अध्यक्ष/संसद को प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत भी किया।

<u>भाग-दो</u>

11.	XXXX	XXXX	XXXX
12.	XXXX	XXXX	XXXX
13.	XXXX	XXXX	XXXX
14.	XXXX	XXXX	XXXX
15.	XXXX	XXXX	XXXX

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की बैठक की कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।